कामकाजी महिला

वर्ष 1 अंक 6 | अगस्त, 1989 | मूल्य : एक रुपया

कल्याणी में हुई राज्यस्तरीय कांफ्रेंस के दौरान पश्चिम बंगाल में आंगनवाड़ी महिलाओं का जुलूस।

तीस फीसदी आरक्षण सौ फीसदी अत्याचार

आकाशवाणी और दूरदर्शन के जरिए प्रधानमंत्री और उनकी जुडली के लोग रात-दिन महिलाओं के प्रगति के ढोल पीट रहे हैं। लेकिन महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। रिपोर्टों के मुताबिक कांग्रेस (आई) शासित बिहार, महिलाओं पर अत्याचारों के मामले में पहले नंबर पर आता है। जून महीने में इस राज्य के विभिन्न स्थानों में हुए बलात्कार के चार-पांच गंभीर मामले सामने आए हैं। पूर्णिया जिले के नसपाल गंज में 8 जून को एक 13 वर्षीय हरिजन बालिका रीता देवी के साथ सात लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। 18 जून को मुज़फ्फरपुर जिले के राजपुर गांव में 23 वर्षीय विवाहित हरिजन महिला चंद्रा ज्योति के साथ बलात्कार किया गया। भागलपुर जिले के जगदीशपुर गांव में 19 जून को एक प्रौढ़ महिला पर हमला कर उसकी हत्या कर दी गयी और उसकी एक आंख निकाल ली गयी मधेपुरा जिले के उधीशानपुर में 17 जून को 30 वर्षीय हरिजन महिला पालो पर दिन-दहाड़े हमला किया गया और उसके साथ बलात्कार की कोशिश की गयी। बाद में उसकी चीख सुनकर पड़ोस के खेत में काम कर रही चार लड़कियों ने उसे बचाया। इससे पहले 2 जून को धनबाद में एक आदिवासी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। बाद में क्षत-विक्षत दशा में उसकी लाश मिली और 'डोम' किसी जानवर की तरह गलियों से उसकी लाश को पोल में लटकाकर लेकर गुजरे। 17 जून को चार दहेज हत्याएं हुई। अत्याचारों की यह सूची कहीं खत्म होने पर ही नहीं आती।

इसके अतिरिक्त 5 जून को धनबाद में एक और जघन्य घटना सामने आयी। एक 18 वर्षीय आदिवासी लड़की मालती मांझी के साथ दिन दहाड़े सात पुलिसकर्मियों ने बलात्कार किया और आतंकित खड़े लोग यह सब देखते रहे। यह आतंक इतना भयानक था कि वे हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। **टाइम्स आफ' इण्डिया**

[शेष पृष्ठ 24 पर]

इस अंक में

तीस फीसदी आरक्षण, सौ फीसदी अत्याचार 2

ए. आइ. सी. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. तथा ए. आइ. डी. डब्ल्यू. ए. के आयोजन पर 8 सितम्बर को दिल्ली में विशाल रैली होगी 3

8 सितम्बर की ओर—महिलाओं से अपील 5

हमें झूठे वायदे नहीं, रोज़गार चाहिये —कालिंदी देशपांडे 7

परिसंवाद : जो परिचर्चा बना —संध्या शैली 8

आंगनवाड़ी महिलाओं ने मांग दिवस मनाया 9

राज्यों से रिपोर्ट

बिहार : सांप्रदायिकता के खिलाफ महिला कन्वेंशन 12

पंजाब : कामगार महिलाओं की राज्य कन्वेंशन 13

छेड़खानी के खिलाफ तसनीम ने आवाज़ उठाई 14

रेलवे में भेदपूर्ण बर्ताव ज़ारी 15

आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर 16

महिला स्वास्थ्य सेविकाओं की स्थिति —सरिता सिन्हा 18

मध्य प्रदेश में कामगार महिलाओं का संभाग व्यापी विरोध प्रदर्शन 20

घरेलू मजदूरिनों को संगठित करना 21

सीटू के अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति के लिए विमला रणदिवे की ओर से 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001, (फोन नं० 384071) से सम्पादित और प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, 21-ए झिलमिल इंडस्ट्रीयल एरिया, शाहदरा, दिल्ली में मुद्रित।

ए. आइ. सी. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. तथा ए. आइ. डी. डब्ल्यू. ए. के आयोजन पर

8 सितम्बर को दिल्ली में विशाल रैली होगी

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की केन्द्रीय कार्यकारिणी की पिछली बैठक ने महिलाओं के रोजगार से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मांगों को लेकर महिलाओं की एक अखिल भारतीय रैली आयोजित करने का फैसला लिया है जो अखिल भारतीय कामगर महिला समन्वय समिति के साथ मिलकर किया जायगा। 23 व 24 जून को हुई समिति की सेक्रेटेरियट बैठक में फैसला लिया गया है कि यह रैली नई दिल्ली में 8 सितम्बर को होगी। सभी राज्य कमेटियों को चाहिए कि वह इस रैली के बारे में जबर्दस्त अभियान छेड़ दें। एन. पी. पी. सम्बन्धी पुस्तिका और पर्चे के लिए बयान जिसे हम भेज रहे हैं उसे क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार कर प्रचार के लिए इस्तेमाल करें। इसके साथ ही हम मांगपत्र भी भेज रहे हैं।

हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम रैली में शिरकती के लिए दिए गए कोटा से अधिक लामबंदी करें एवं यह सुनिश्चित करें कि 8 सितम्बर की रैली, महिलाओं का अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन बन जाय।

राज्य कमेटियां यह देखें कि इस रैली का संदेश हर राज्य के कोने-कोने तक पहुंचे। इस अवधि के दौरान कन्वेंशनों, सभाओं एवं पदयात्रा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। चलाए गए अभियान के सम्बन्ध में रिपोर्ट बिना देर किए केन्द्र को भेजना है।

विमल रणदिवे,
सचिव,
ए.आइ.सी.सी.डब्लू.डब्लू.

सुशीला गोपालन
महामंत्री,
ए.आइ.डी.डब्लू.ए.

रैली की माँगें

1. काम के अधिकार को मौलिक अधिकार माना जाय।

3. सभी राज्यों में बुनियादी, भूमि सुधार लागू किये जायं। भूमिहीनों को संयुक्त पट्टा के आधार पर अतिरिक्त जमीन को बांटा जाय। ग्रामीण इलाकों, विशेष कर उन महिलाओं को जमीन के पूरे अधिकार दिए जायं जो अपने परिवार की जिम्मेदारी अकेली निभा रही हैं तथा उनको पूरी मदद दी जाय।

3. केंद्र तथा राज्य स्तर पर कानूनी राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन अविलम्ब किया जाय।

4. सरकार द्वारा नयी भर्ती पर मौजूदा पाबंदी खत्म की जाय। उन सभी सरकारी नीतियों को बदला जाय जिनके चलते संगठित क्षेत्र में महिलाओं की रोजगार संख्या कम होती जा रही है, और महिलाओं को असंगठित क्षेत्रों में जाने पर मजबूर किया जा रहा है। मशीनीकरण तथा कंप्यूटराइजेशन पर पाबंदी लगायी जाय जिसके चलते महिला कामगारों की आम छंटनी हो रही है। महिलाओं के मौजूदा रोजगार को सुरक्षित किया जाय। सभी बंद कारखानों को खोला जाय। बिना राष्ट्र महिला आयोग की स्वीकृति के ऐसे कोई भी नयी तकनीकी, जिससे महिलाओं के रोजगार खत्म हों, लागू न किया जाय।

5. पंचायत स्तर पर बेरोजगारी की सूची बनायी जाय, खास तौर से उन बेरोजगार महिलाओं के जिन्हें केवल, पूरक कमाने वाले समझे जाते हैं। सभी बेरोजगारों को रोजगारी भत्ता दिया जाय।

6. जरूरत के आधार पर राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की घोषणा की जाए और उसका सख्ती से पालन किया जाय। जो कि हर क्षेत्र के मजदूरों पर लागू हो। सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि ठेका मजदूर, सामाजिक अवैतनिक मजदूर, ई. डी. मजदूर, पार्ट-टाईम मजदूर इत्यादि के नामपर न्यूनतम वेतन के भुगतान के प्रावधानों का उल्लंघन तत्काल रोका जाय।

7. असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का, जो कि महिला कामगारों के 90 प्रतिशत है, रजिस्ट्रेशन किया जाए और उन्हें पूरी कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाय तथा न्यूनतम वेतन दिया जाय।

8. योजना में उपयुक्त वित्तीय संसाधन किया जाय ताकि कामगार महिलाओं के लिए खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में मददगार ढांचा को बढ़ाया जाय जैसे बालगृह, बालबाड़ी, पीने के पानी की व्यवस्था, पशुओं का चारा

और ईंधन इत्यादि जिससे उनके घरेलू कार्य के बोझ को कम किया जा सके।

9. अकुशल, कम वैतनिक कार्यों में लगी महिलाओं के लिए ब्लाक स्तर पर ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाय जिससे महिला कामगारों की कुशलता बढ़ाई जा सके। कानूनी शिक्षा सहित शिक्षा की सुविधा व्यापक स्तर पर दी जाय।

10. महिलाओं के लिए तमाम सुरक्षित कानून तथा समान वेतन के कानून को लागू किया जाय। खेतीहर मजदूरों तथा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगर महिलाओं को पेंशन की सुविधायें दी जायं।

11. निर्यात से संबंधित विशेष क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में संगठन बनाने को तथा हड़ताल करने के अधिकार को सुरक्षित किया जाय। सभी दमनकारी कानून जैसे कि अस्पताल व अन्य संस्थान विधेयक, ट्रेड यूनियन और औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक को वापस लिया जाय।

12. मौजूदा गलत और अपर्याप्त आंकड़े इकट्ठा करने के तरीकों को बदला जाय जिससे कि उत्पादन में खास तौर से खेतीहर, असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका सही तौर पर आंकी जा सके।

13. देश में तमाम महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार दिया जाय।

[पृष्ठ 8 का शेष]

कि अगर आज महिलाओं की भागीदारी ट्रेड यूनियन आंदोलन में कम है तो इसके लिए हम ट्रेड यूनियन के लोग ही दोषी है। हमें अपनी सामंती सोच को बदलना होगा, और महिलाओं की समस्याओं के लिए संघर्ष करना होगा। महिलाओं को ट्रेड यूनियन आंदोलन से बाहर कर दरअसल हम अपनी ही लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने महिलाओं का ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रति उदासीन रुख को खतरनाक बताते हुए कहा कि यह ट्रेड यूनियन आंदोलन के हितकर नहीं है।

सम्मेलन में 1 जून को समस्त कार्यालयों और कारखानों में "झूला घर बनाओ" दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया। परिसंवाद की अध्यक्षता श्रीमति सुधा सक्सेना, मनीषा शिंदे, लक्ष्मी यादव और सविता ने की। संचालन ग्वालियर यूनाइटेड काउंसलि आफ ट्रेड यूनियन के महा सचिव बी आई ज्वारदार ने किया।

8 सितम्बर को महिलाओं की रैली

सीटू अध्यक्ष का०बी०टी० रणदिवे ने राज्य कमेटियों, महिला समन्वय समितियों को निम्नलिखित सर्कुलर भेजा है :

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति तथा अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति ने 8 सितम्बर 1989 को नई दिल्ली में महिलाओं की एक विशाल रैली के लिए संयुक्त रूप से आह्वान किया है।

महिलाओं के लिए रोजगार और काम के अधिकार को बुनियादी अधिकार के रूप में संविधान में शामिल किए जाने की मुख्य मांग सहित 13 सूत्री मांग पत्र के समर्थन में यह रैली आयोजित की जा रही है। अन्य मांगों में आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी, समान वेतन कानून को लागू करना, पलनाघरों का प्रावधान आदि मांगें शामिल है।

आप इस बात से वाकिफ हैं कि शुरू से ही सीटू, कामगार महिलाओं को मजदूरवर्ग आंदोलन के अभिन्न हिस्से के रूप में संगठित करने तथा उनकी विशेष मांगों के लिए संघर्ष करने के बारे में अत्याधिक बल देती रही है।

इस रैली को राजधानी में आयोजित होने वाली महिलाओं को अब तक का सबसे विशाल प्रदर्शन बनाना होगा ताकि सरकार के झूठे दावों एवं प्रचार का समुचित जवाब दिया जा सके। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारी राज्य कमेटियां एवं सम्बद्ध यूनियनें इन मांगों को लोकप्रिय बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ अभियान चलाएं तथा बेरोजगार और रोजगार शुदा महिलाओं को हजारों की संख्या में रैली में हिस्सेदारी करने के लिए प्रेरित करने के कार्यक्रमों पर अपना ध्यान लगाएं।

मैं राज्य कमेटियों से आग्रह करूंगा कि वे इस सर्कुलर की प्राप्ति स्वीकार करें और रैली को कामयाब बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में हमें सूचना दें।

आपका
बी० टी० रणदिवे
अध्यक्ष, सीटू

8 सितम्बर की ओर—महिलाओं से अपील

8 सितम्बर को, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति (ए० आई० डी० डब्ल्यू० ए०) के झण्डे तले, भारत के विभिन्न प्रान्तों से आई महिलाएं दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन करेंगी इस नारे को लेकर—"हमें रोजगार की गारंटी चाहिए, हमें आय चाहिए, हमें झूठे वायदे नहीं काम चाहिए।"

आज 21 वीं० शताब्दी से केवल 11 वर्ष दूर, भारत की अधिकतर महिलाएं पिछड़ेपन में जीवन गुजार रही हैं क्योंकि वह एक असमान सामाजिक व्यवस्था की शिकार हैं। जहां दहेज के कारण जलाना, सती, बालिका हत्या, औरतों को परेशान करना जैसी घिनौनी प्रथाएं और बलात्कार जैसे अत्याचार दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। अधिकतर महिलाएं यह अत्याचार चुपचाप सहती हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य चारा नहीं होता वह अपनी जीविका के लिए अपने पति, पिता या भाई की आय पर निर्भर होती हैं। महिलाओं को समान रूप से खड़े होने के लिए, अपने जीवन सम्बन्धित निर्णय स्वयं लेने के लिए—सबसे पहली आवश्यकता है आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना जिसके लिए समान जायदाद अधिकार की बात उठती है। हालांकि हकीकत यह है कि इस देश की बहुत कम महिलाओं के पास जायदाद है इसलिए जायदाद अधिकारों से बंधी आय नहीं मिल पाएगी बल्कि यह काम केवल ऐसी सरकार कर पाएगी जो महिलाओं को काम और जरूरत के आधार पर न्यूनतम वेतन देने की गारंटी ले। इसलिए हमारा मानना है कि काम करने के अधिकार को बुनियादी अधिकार बनाया जाए। काम दिया जाए अथवा बेरोजगारी भत्ता—प्रश्न यह भी उठता है कि महिलाएं तो सुबह से शाम तक वैसे भी काम करती हैं तो फिर कार्य करने के अधिकार को बुनियादी अधिकार बनाने का सवाल कैसे उठाया जाए। जी हाँ, औरतों का काम खत्म नहीं होता पर घरेलू काम को मान्यता नहीं मिलती क्योंकि यह परिवार की देखभाल तक सीमित होता है और चाहे कितना भी कठिन और मेहनत वाला क्यों न हो यह केवल नीरस घरेलू कार्य है। क्या महिलाएं उन्नति कर सकती हैं अगर वे केवल रसोई और घर की चारदिवारी से बन्ध कर रह जाती है? नहीं। इसलिए हम मांग करते हैं घरेलू कार्यों का बोझ सहायक सुविधाओं, जैसे बाल गृह, पीने का पानी, ईंधन, चारा आदि के जरिए कम किया जाए और महिलाओं को सामाजिक उत्पादन का हिस्सा बनाया जाए। ऐसा करने पर परिवार का विकास होने में सहयोग तो मिलेगा ही साथ बच्चे के विकास में सहायता होगी। पर यहां मुख्य प्रश्न है—ग्रामीण महिलाओं की स्थिति। यह माना जाता है कि आज भी कृषि क्षेत्र का एक तिहाई से भी ज्यादा हिस्सा महिलाओं का है और महिला खेती मजदूरिनों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि गरीब किसान परिवार अपनी जमीनें खो रहे हैं और खेतीहर मजदूरों की श्रेणी में शामिल हो रहे हैं। गांवों में आज 30 प्रतिशत से 35 प्रतिशत, ग्रामीण परिवारों की मुखिया औरतें हैं और परिवार उनकी आय पर आश्रित होता है। पर महिलाओं में से कितनों के पास जमीन है? कितनों को समान काम का समान वेतन मिलता है? यहां तक कि राजीव सरकार भी यह मानती है कि ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की स्थिति सोचनीय है। इसका मुख्य कारण है कि सरकार अभी तक मुट्ठी भर लोगों के हाथ जमीन के केन्द्रीयकरण को नहीं तोड़ पाई है और साथ ही भूमिहीन ग्रामीण गरीबों को अधिशेष जमीन देने में असफल रही है। बिना मौलिक भूमि सुधारों के जिसमें महिलाएं समान रूप से लाभ भोगी हैं, ग्रामीण महिलाओं का विकास संभव नहीं है। राजीव सरकार का कहना है कि वह 40 प्रतिशत भूमि और संधी पट्टे महिलाओं को देगी। यह इस सरकार के मक्कारीपूर्ण चेहरे को ही उभारता है। यह जमींदारों की जमीन को छुएगी भी नहीं तो फिर वितरण के लिए भूमि कहां से लाएगी। अतः हम मांग करते हैं कि भूमि सीमा को नीचा किया जाए और जमींदारों की अधिशेष भूमि को लेकर, संधि पट्टों के आधार पर उसका वितरण किया जाए। इसमें विशेष ध्यान उन परिवारों पर दिया जाए जहां

महिला घर की मुखिया है। महिलाओं को सामाजिक उत्पादन में लाना ही उनके विकास का एकमात्र तरीका है। परन्तु कांग्रेस (आई) की नीतियों जैसे नयी भर्ती पर रोक, मशीनीकरण और कम्पयूटराइजेशन के अव्यवस्थित प्रयोग ने महिलाओं के रोजगार पर घातक प्रहार किया है। स्वतंत्रता के 41 साल बाद भी श्रम शक्ति, जिसे सरकार की ओर से मजदूर होने की मान्यता प्राप्त है, उसमें से महिलाएं केवल 14 प्रतिशत हैं और इसका भी 90 प्रतिशत कृषि क्षेत्रों या फिर असंगठित क्षेत्रों में है। आज जहां भी पारम्परिक उद्योग थे वहां महिलाओं की बड़ी संख्या में, विस्थापन हुआ है। सरकार कहती है वह महिलाओं को काम देगी—क्या वह हथकरघा क्षेत्र की उन चार लाख औरतों को रोजगार देगी जिनका मशीनी करघा लगने से विस्थापन हुआ है?

और दो लाख तम्बाकू मजदूरों को जिनका काम मशीनीकरण के कारण खतरे में है। या फिर उन बीस हजार मजदूरों को जिन्हें निकाला जा चुका है?

और उन दो लाख नारियल जटा कातने वाले मजदूरों को जिनका नौकरी जाने का खतरा है क्योंकि केन्द्रिय सरकार बाहर से कातने की मशीनें आयात कर रही है।

उन 70 हजार खान मजदूर औरतों का क्या होगा जो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठी है या उन 50 प्रतिशत औरतें जिनको औषधि और इलैक्ट्रानिक उद्योगों से बाहर किया गया है?

साथ ही 30 से 60 प्रतिशत औरतें जिन्हें कपड़ा और पटसन उद्योगों से निकाल बाहर किया गया है?

महिलाओं को नौकरी से निकाल कर राजीव सरकार उन्हें असंगठित क्षेत्र में धकेल रहे हैं और उन्हे घर बैठे व्यवस्था के भुलावे में डाल रहे हैं जहां कम वेतन है, कड़ी मेहनत है और रोजगार सुरक्षा के कानून नहीं है। महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना तक केवल एक बहकावा है जब तक कच्चे माल बिक्री और वितरण की गारंटी नहीं है। सरकारी रिपोर्ट से यह साफ पता लगता है कि महिलाएं पूंजीवादी बाजार के निर्णय कानूनों की शिकार होती हैं।

फलस्वरूप इस सरकार की अव्यवस्थित प्राथमिकताओं के कारण महिलाओं को रोजगार नहीं मिलता बल्कि बड़े व्यापारिक घरानों को भारी मुनाफा होता है, जबकि कम से कम दो लाख छोटे उद्योग बन्द हो चुके हैं जिनसे बेरोजगारी बढ़ी है। सरकारी आकड़ों के अनुसार महिलाओं की दर्ज बेरोजगारी 1975 में 15 लाख से बढ़कर 1986 में 51 लाख हो गई है। साथ ही महिलाओं को स्वास्थ्य क्षेत्र और आंगनवाड़ी क्षेत्रों में मानदेय भत्ते के नाम पर बहुत ही कम वेतन दिया जाता है। जबकि उनसे अपेक्षा यह है कि वह भारी जिम्मेदारियां निभायेगीं।

इसलिए हम मांग करते हैं कि असंगठित क्षेत्र में रोजगार को बढाया जाय। नयी भर्ती पर से रोक तुरन्त हटाई जाय, असंगठित और कृषि क्षेत्रों में सुरक्षा कानूनों को लागू किया जाय, अव्यवस्थित मशीनीकरण पर रोक हो और मौलिक भूमि सुधारों को एवं राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यकता अनुसार न्यूनतम वेतन को लागू किया जाय।

साथियों, महिलाओं के लिए आर्थिक आत्म-निर्भरता रोजगार की गारंटी और सामाजिक उत्पादन में अहम भूमिका—यह सब जिन्दगी और मौत के सवाल हैं। पर इस बेशर्म सरकार ने महिलाओं पर सबसे अधिक बोझ डाला और अब नये नारों के साथ, उन्हें बहकावे में डाल कर सहयोग प्राप्त करना चाहती है। महिलाओं के अधिकारों पर आघात करने वाली यह सरकार अब अपने आप को औरतों की सबसे बड़ी हिमायती बतलाती है। इस सरकार के लिए महिलाएं वोटों के सिवा कुछ नहीं है।

महिलाएं ही राजीव सरकार की नीतियों की सबसे बड़ी शिकार हैं। वह यह झूठे वायदे नहीं सहेंगी।

हमें इक्ट्ठे होकर अपनी आवाज सुनानी है। हम वोट बैंक नहीं। हमें ऊँची बातें नहीं फुसला सकती। हमें काम चाहिए। हमें वेतन चाहिए। हमें जमीन दो, झूठे वायदे नहीं।

पढ़ें

कामकाजी महिला

(हिन्दी द्विमासिक पत्रिका)

कीमत : एक प्रति : 1 रुपया

वार्षिक चन्दा : 6 रुपये

अपनी प्रतियों के लिए हमें लिखें :

सी आई टी यू 6, ताल कटोरा रोड

नई दिल्ली-110001

हमें झूठे वायदे नहीं, रोजगार चाहिए

☐ कालिंदी देशपाँडे, दिल्ली

'हमें झूठे वायदे नहीं रोजगार चाहिएं'—इस नारे को बुलंद करने के लिए अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की दिल्ली राज्य का 'जन अभियान' 27 जुलाई को जोर-शोर से जत्थे के रूप में हुआ। झंडे-बैनरों के अलावा टैंपो पर दोनों तरफ बड़े-बड़े बोर्डस लगे थे जिनमें कुछ आंकड़े तथा मुख्य-मुख्य मांगे थी जैसे कि मशीनीकरण के कारण तंबाकू, हथकरघा तथा कोयर (नारियल जटा) उद्योगों में हुई महिलाओं की छंटनी के आंकड़े और घर बैठे उद्योग करने वाली महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा, कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए बालगृह, न्यूनतम वेतन की गारंटी, समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी आदि और इन तमाम मांगों के साथ जुड़ी सबसे बड़ी मांग थी राजीव सरकार के इस्तीफे की।

जत्थे की कल्पना यह थी कि दिल्ली राज्य की जनवादी महिला समिति की हर इकाई में राज्य समिति के कुछ सदस्य और पदाधिकारी टेंपों में, तथा पैदल घूमकर रोजगार अभियान का प्रचार करेंगे और पूरा दिन इलाके में घूमने के बाद रात को वहीं विश्राम करेंगे—जब इलाके की औरतें और कार्यकर्त्ताओं के साथ केंद्रिय कार्यकर्ताओं का संपर्क और अधिक दृढ़ होगा। दूसरे दिन जत्था आगे बढ़ेगा अन्य किसी इलाके में अभियान चलाने के लिए। इस तरह दिल्ली के तमाम इलाकों में जाने के लिए एक महीने का प्लान बना है।

4 अगस्त तक उत्तरी दिल्ली के आधे यूनिट्स पूरे हुए हैं और जत्था अब पश्चिमी दिल्ली जाने की तैयारी में है। शास्त्रीनगर, बायानगर, मानकपुरा, दक्षिणपुरी, भूमिहीन तथा अलकनंदा कैंप, कुसुमपुर आदि सभी जगहों पर युनिट के कार्यकर्ताओं ने जत्थे का स्वागत करते समय अपनी रचनात्मकता का जबर्दस्त परिचय दिया। कहीं गुब्बारों पर नारे लिखे गये थे तो कहीं बच्चों ने कागजी टोपियां पहनी थीं जिन पर औरतों ने फूल पत्तीदार पक्षी बनाई थी। जहां हमारे साक्षरता क्लास चल रहे हैं वहां औरतों ने खुद पोस्टर्स बनाकर पूरे इलाके में चिपकाये थे। अन्य जगहों पर जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने दीवारों पर नारे लिखे थे। पूरा इलाका इस तरह सजा-धजा कर जत्थे के स्वागत के लिए तैयार था। हर इलाके की तैयारी में अपनी-अपनी अलग पहचान थी जिसमें हार्दिकता के साथ-साथ संगठन के प्रति लगाव का भी परिचय हो रहा था।

इधर जत्थे का स्वागत इलाके के कार्यकर्ताओं ने जोरदार किया और उधर जत्थे की मांगों का समर्थन आम जनता ने, विशेषकर महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर किया। और क्यूं नहीं? हम रोजगार का सवाल महंगाई से जोड़ रहे थे, बढ़ते सामाजिक अत्याचारों से जोड़ रहे थे, अंधाधुंध मशीनीकरण से बढ़ती छटनी से जोड़ रहे थे और घर बैठे उत्पादन में होने वाली आर्थिक शोषण से जोड़ रहे थे जो महिलाओं की—विशेषकर मजदूर बस्तियों की महिलाओं की जिंदगी का रोजमर्रा का तजुर्बा था। माईक की आवाज सुनते ही गली गली से औरतें बाहर आती थीं और गौर से हमारी बातें सुनकर अपना समर्थन जता रही थीं। इनमें हर तबके की महिलाएं हमें मिलीं—जवान, बूढ़ी, पढ़ी, अनपढ़, हिन्दुस्तान के विभिन्न राज्यों से आयी हुई कुछ कारखानों के मजदूर थी, कुछ कंस्ट्रक्सन वर्कर्स, कुछ छोटे-मोटे प्राइवेट संस्थानों में नौकरी पर तो किसी की अपनी छोटी-सी दुकान या रेहड़ी, कुछ मध्यमवर्गीय घरों में झाड़ू पोछा का काम करने वाली तो कुछ घर ही में कारखाने का माल लाने वाली—इनमें से सैकड़ों बहनें अकेली परिवार चलाने वाली थी या तो घर से निकाली हुई या फिर विधवा। अलग-अलग परिस्थितियों में रहने वाली ऐसी हजारों बहनों से इस जत्थे के दौरान संपर्क हुआ—मगर सभी ने अपने-अपने शब्दों में एक ही बात बतायी—"आप ने एक दम सही सवाल उठाया है।" औरतों में सबसे ज्यादा रोष महंगाई के सवाल पर था।

इस 'सही सवाल' को जनता के बीच ले जाने का, और एक प्रभावी माध्यम से हमने इस्तेमाल किया—नुक्कड़ नाटक हर रोज शाम को हर इलाके में सैकड़ों की उपस्थिति में "औरतें उठी नहीं तो···" नाम का नुक्कड़ नाटक तो

खास इस अभियान के लिए लिखा गया है, जनवादी महिला समिति, दिल्ली के बंलन्द नाटक मंच द्वारा खेला गया। इसके अलावा हमारी कुछ सृजनशील कार्यकर्ताओं ने इसी सवाल पर कुछ प्रभावी गीत तैयार किये हैं जो रात को बहने इकट्ठा होकर ढोलक बजाकर गाती थी।

जत्थे के स्वागत की तैयारी, खान-पान और रात के विश्राम की तैयारी से लेकर जनता के बीच प्रचार में हिस्सेदारी तक हर यूनिट के कार्यकर्ताओं ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और विशेष उल्लेखनीय बात है जनवादी नौजवान सभा, सीटू और माकपा के कार्यकर्ताओं ने हर इलाके में हर संभव मदद की और अपनी बिरादना भावनाओं का प्रदर्शन किया।

परिसंवाद : जो परिचर्चा बना

□ संध्या शैली, ग्वालियर

5 मई को मई दिवस के उपलक्ष्य में मनाये जा रहे समारोहों के तहत "कामगार महिलाएं और ट्रेड यूनियन आंदोलन" विषय पर सेमीनार आयोजित था। यह आयोजन भी ग्वालियर यूनाइटेड कांउसिल ऑफ यूनियन की ओर से आयोजित था।

यह एक परिसंवाद था जो महिलाओं और उपस्थित जन समूह की भागीदारी के कारण परिचर्चा में तब्दील हो गया। विभिन्न संस्थानों, कार्यालयों, कारखानों में काम करने वाली महिलाएं स्वयं आगे आकर अपनी समस्याओं और समाधान पर चर्चा कर रही थीं।

विषय की शुरूआत करते हुये टेलीफोन कर्मचारियों के नेता शेख गनी ने कहा कि एक वह जमाना था जब महिलाओं को समाज के अन्दर सम्मानीय दर्जा हासिल था वे अपने कबीले की नेता हुआ करती थी। उत्पादन में उसका बराबरी की भागीदारी थी। लेकिन जैसे-जैसे पूंजी का संचय करने की प्रवृति पैदा हुई महिला का दर्जा इंसान से घट कर एक वस्तु तक सीमित हो गया। यहीं से महिलाओं की गुलामी शुरू हुई। उन्होंने ट्रेड यूनियन के अंदर सामान्ती प्रभावों का भी जिक्र किया।

कामगार महिला समन्वय समिति व मध्य प्रदेश बैंक एम्प्लाइज फेडेरेशन की संयोजिका श्रीमति संध्या शैली ने पूंजीवादी सामंती समाज की चर्चा करते हुए कहा कि महिला को तिहरे शोषण का शिकार होना पड़ता है। नागरिक के नाते उनका शोषण, महिला के नाते उनका शोषण, कामगार होने के नाते उनका शोषण। कामगार महिलाओं को घर में भी उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। महिलाओं की साक्षरता मात्र 15 प्रतिशत है। रोजगार के खत्म होते अवसरों की चर्चा करते हुए श्रीमति संध्या शैली ने कहा कि छंटनी, तालाबंदी आटोमेशन की मार भी सबसे पहले महिलाओं पर ही पड़ती है। ट्रेड यूनियन आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हमें सामंती संस्कारों के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी और उसकी जिम्मेदारी ट्रेड यूनियन और उसमें काम करने वाले पुरुष साथियों की है।

जनवादी महिला समिति की प्रांतीय सचिव अनधा शिंदे ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा करते हुए कहा कि आजादी केवल सामंती और सरमायेदारों के हाथ लगी इसलिए मेहनतकश जनता के साथ महिलाओं का सामंती उत्पीड़न और शोषण जारी रहा। सुश्री शिंदे ने कागजी घोषणाओं की चर्चा करते हुए कहा कि महिलाओं को सरकार की नियत को समझना होगा। खुद संगठित होकर, संघर्ष कर और ट्रेड यूनियन और जनवादी आंदोलन में शिरकत कर ही हम मुक्ति का रास्ता तलाश सकती हैं।

शिक्षिका सुश्री सत्य शुक्ला ने कामगार महिलाओं को लड़ाई में आगे आकर संघर्ष करने का आह्वान किया।

शिक्षक नेता हेमंत शुक्ला के अनुसार महिलाओं के आंदोलन को आम ट्रेड यूनियन आंदोलन से अलग करके देखना गलत होगा। उन्होंने एक मंच पर आकर संघर्ष करने की अपील की। सीटू सचिव बादल सरोज ने महिलाओं के शोषण की शुरूआत की चर्चा करते हुए कहा

(शेष पृष्ठ 4 पर)

आंगनवाड़ी महिलाओं ने मांग दिवस मनाया

राजस्थान

10 जुलाई को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर अखिल भारतीय आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हेल्पर्स फेडरेशन के आह्वान पर उदयपुर जिले की आंगनवाड़ी महिला कामगार यूनियन के नेतृत्व में 350 के करीब महिलाओं ने मांग दिवस मनाया। इस मांग दिवस के कार्यक्रम की तैयारी की शुरूआत में धरना लगाने का तय किया था लेकिन बाद में मिले भारी समर्थन के बाद प्रदर्शन व जिला मुख्यालय पर आम सभा का आयोजन करना भी उचित समझा। जबकि पूर्व में प्रकाशित पेम्पलेट में सीधा जिला मुख्यालय पहुंचने का कार्यक्रम दिया था। एक दो दिन में बदले निर्णय के बाद भी प्रातः टाउन हाल में एकत्रित होकर शहर के मुख्य मार्गों से नारे लगाते अपनी मांगों के फेस्टून, तख्तियां, हाथों में लिये जोश के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिये कार्यकर्ता चल रहे थे। जिला मुख्यालय पर पहुंचते ही नारों का जोश व गुस्सा थमा नहीं, दोनों ओर के रोड के चक्के जाम कर दिये गये, अपनी मांगों के नारे के साथ, महिलाओं के नाम आरक्षण धोखा है, धोखा है, अभी तो यह अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है के बाद जूलूस आम सभा में बदल गया उसका पांच सदस्यों के अध्यक्ष मण्डल ने संचालन किया जिसमें पुष्पा शर्मा, मेहरूमा रजिया बानू, सुन्दर देवी सवर्णकार, पुष्पा पंचोली, विद्या देवल थे। सभा के संचालन के शुरुआत में सीटू राज्य कामेटी सदस्य सी पी आई (एम) जिला सचिव बी०एल० सिंघवी ने अखिल भारतीय आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हेल्पर्स फेडरेशन द्वारा बताये रास्ते के अनुसार देशभर की गतिविधियाँ के साथ राजीव गांधी की महिलाओं के बारे में अपनायी जा रही नीतियों का खुलासा आंगनवाड़ी महिलाओं की दुर्दशा के साथ हवाले देते हुए स्पष्ट किया।

तत्पश्चात आंगनवाड़ी कामगार महिलाओं ने महिलाओं पर होने वाले अत्याचार का खुलासा करते हुए चन्द्र कान्ता सुवालका, एम० ए० तथा इन्टरनेशनल वालीवाल खिलाड़ी ने बताया की मैं भी केवल आज 275 की तनख्वाह में काम कर रही हूँ। इसमें से भी कब निकाला जा सकता हूं। कोई भरोसा नहीं हैं। सलूम्बर से आने वाली कार्यकर्ता कलावती ने बताया कि हमारे यहां केन्द्रों में 27 महिने से वेतन नहीं मिल रहा है। कृष्ण नागपाल विधवा ने बताया कि मेरे को काम पर लगाने से पूर्व आफिस के आदमियों ने 800/- रुपये रिश्वत के लिए, दुर्गेश शर्मा ने बताया कि मुझे हटाने की धमकियां देकर सभी के बीच अपमानित किया, चार बार मेरे से लिखित में जबरन माफी के कागज लिखवाये। फिर भी उदयपुर शहर के सीडीपीओ, ने मुझे धक्के मार कर बाहर निकाल दिया कुछ कहने पर काम से हटा दिया। ललीता महेश्वरी ने बताया कि मेरे एक दिन की छुट्टी लेने के बाद मेरा 15 दिन का वेतन काट लिया। सुनिता बाई, दूर दराज आदिवासी इलाके से आयी कार्यकर्ता ने बताया कि हमारी तहसील में कभी भी लकड़ी के बिल के पैसे नहीं दिये जाते हैं। जबकि सभी के नाम 60-70 रुपये का मासिक का बिल बनाया जाता है। इन सब अन्य अनेक पोषाहार घोटालों का हवालों के साथ दिल्ली कंवेन्शन से भाग लेकर आयी कार्यकर्ता रजिया बानू, पुष्पा शर्मा, सुन्दर देवी स्वर्णकार ने सभी बहिनों से संगठित होकर सबको ताकत में बांधने का संकल्प लेकर अपने-अपने इलाके में जाने की बात बतायी . और जल्दी ही जिलों का संगठन बनाकर राजस्थान की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को अखिल भारतीय फेडरेशन में जोड़ने के काम की शुरूआत करने की भी बात हुई।

इस आयोजन में अखिल भारतीय महिला समिति की राज्य कमेटी अध्यक्ष साथी प्रो० मधु सेठीया ने मिटिंग में सुनी दास्तान में बताया कि अखिल भारतीय कन्वेंशन में भी ऐसे तथ्य सामने नहीं आए थे जो मैंने आपके बीच में सुने हैं कम तनख्वाह वाली बात तो सभी ने वहां भी कही थी लेकिन एक दिन की छुट्टी की जगह 15 दिन की तनख्वाह काट लेना यह किन कानूनों में आता है ? ये नारी समानता के नमूने हैं (!) राजीव गांधी जो महिलाओं के नाम रात दिन बोल रहे हैं, विकास की बात कर रहा है। वे बताये कि 225/- व 275/-एवं 110/- रुपये मिलने

वाले मानदेय को "अपमान देय" कहना ही ठीक रहेगा। उन्होंने कहा कि देश में जो हालात बन रहे हैं, आर्थिक संकट में बच्चों और महिलाओं की जो स्थिति बन रही है, उसमें आप सबको एक होकर आगे आना होगा।

अध्यक्ष सेठीया के अलावा डी० वाई० एफ० आई०, महिला समिति, सीटू के साथियों ने भी अपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के संघर्ष में पूरे सहयोग की घोषणा की।

इसी प्रदर्शन के उपरान्त सभी तहसीलों की परियोजना शाखा कमेटिया गठन करने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को दी। और आगामी 13 अगस्त को जिले का सम्मेलन करने की भी घोषणा की जिसमें अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व हल्पर्स फैडरेशन की संयोजिका का० विमला रणदिवे को भी आमंत्रित करने का निर्णय लिया।

उत्तर प्रदेश

10 जुलाई 89 को इटावा कचहरी पर आंगनवाड़ी महिला और सहा० का व्यापक धरना दिया गया, जिसका जनवादी महिला समिति ने सक्रिय समर्थन किया। अध्यक्षता श्रीमती मोहिनी वर्मा, श्रीमती शकुन्तला एवं श्रीमती इन्दिरा अवस्थी ने की। लगभग 500 महिलाओं ने हिस्सेदारी की।

इसकी तैयारी में बसरेहर ब्लाक में 5 मीटिंगे हुई तथा आंगनवाड़ी महिलाओं की एक संयोजक समिति का गठन किया गया जिसका संयोजक शकुन्तला यादव को चुना गया। इसके बाद दो बैठकें जिला मुख्यालय पर सीटू कार्यालय में हुई सीटू की तरफ से का० मुकुट सिंह पहले की उक्त सभी बैठकों में उपस्थित रहे।

बसरेहर ब्लाक में आंगनवाड़ी के 117 केन्द्र हरिजन कल्याण अधिकारी व विभाग के अन्य अधिकारियों द्वारा भारी धाधंली की जाती हैं—4-4 माह तक मानदेय का भुगतान नहीं किया जाता। ढुलाई व ईंधन भत्ता पहले तो दिया ही नहीं गया बाद में आवाज उठाने पर कम दिया गया। स्टेशनरी के नाम पर आने वाले धन को नाममात्र के लिए (12 रजिस्टर लगभग 200 राइस पेपर्स) दिया गया जब कि एक सेन्टर को 180 रु० प्रतिवर्ष मिलना चाहिए इतने ही रकम विभाग से निकाले गये।

आंगनवाड़ी महिला व सहायकों के साथ पुरुष कर्मचारियों द्वारा अपमानित करने के भी कई उदाहरण सामने आये।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर दर्जे के साथ ही तब तक 600 रुपये आंगनवाड़ी व 400 रुपये सहायिकाओं को वेतन दिये जाने के साथ ही मानदेय नियमित, ईंधन बच्चों के लिए टाट पट्टी, चाक, मौसम के अनुसार पोषाहार, स्टेशनरी का पूरा धन केन्द्रों को दिये जाने व पुरुष कर्मचारी द्वारा किये जाने वाले दुर्व्यवहार पर बंदिश की मांग सहित अन्य मांगों के सम्बन्ध में मांगपत्र दिया गया।

इटावा जिले के ही भाज्य नगर ब्लाक में भी उक्त योजना चलती है वहां भी बहुत सारी अनियमितताएं हैं वहां भी अब सम्पर्क हुआ है।

उक्त कार्यक्रमों को डा० लक्ष्मी सहगल ने संबोधित किया व संगठन के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण दिशानिर्देशन किया।

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश के राघोगढ़ केन्द्र में आंगनवाड़ी में कार्यरत महिलाएं सीटू की पहल पर संगठित हो रही हैं। दिनांक 23/6/89 को राघोगढ़ में पी० एच० ई० बी० डब्ल्यू० डी० सिचाई, कृषि, वन, आँगनवाड़ी एवं एन० एफ० एल० विभागों के कर्मचारियों की एक विशाल रैली हुई और आम सभा भी की गई जिसमें कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि, नौकरी की सुरक्षा, रिक्त पदों में नियुक्ति एवं अन्य मांगों को लेकर जिलाधिकारी से भेंट की गई। और उनके जरिए मुख्य मंत्री को मांगों से सम्बन्धित ज्ञापन दिया गया। इस रैली में 135 महिलाएं एवं 400 पुरुषों ने शिरकत की। कार्यक्रम की तैयारी के लिए बांटे गये पर्चे में इन कर्मचारियों के समस्याओं और मांगों को लेकर अभियान चलाया गया। आंगनवाड़ी में कार्यरत महिलाओं की स्थिति तो बन्धुआ मजदूरों से भी खराब है, जिन्हें जब चाहे नौकरी पर रख लिया जाता है और जब चाहे तब पद मुक्त कर दिया जाता है। उस पर भी उन्हें मजदूरी प्रतिदिन लगभग आठ रुपये दी जा रही है। वह भी नसीब से चार-चार महीने में श्रम का भुगतान किया जाता है। जबकि शासन के अन्य विभागों में महिला मजदूर को लगभग 20 रुपये प्रतिदिन मजदूरी दी जाती है। इन मांगों को एवं अन्य

कर्मचारियों की मांगों को लेकर राघौगढ़ सीटू की ओर से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया गया।

महाराष्ट्र

आंगनवाड़ी कर्मचारियों के प्रश्न को लेकर पिछले अप्रैल माह में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय सम्मेलन के फैसले के अनुसार दस जुलाई को सारे देश में मांग दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। उसी निर्णय के अनुसार महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिला परिषद के सामने धरना तथा प्रदर्शन का कार्यक्रम के जरिए आंगनवाड़ी मांग दिवस मनाया गया। चन्द्रपुर में इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए 500 से ज्यादा आंगनवाड़ी सेविका तथा सहायिकाएं उपस्थित थीं। जिला परिषद के सामने हुई इस सभा को का० अशोक धावले (बम्बई), संगठन के जिला अध्यक्ष प्रो० रमेश चन्द्र दही वड़े, कुमारी डी०एस० वैद्य, सिंधु मंगेर, शशिकला, मेशराम, सुषमा भाले राव, दयानियगड़े, सुशीला गिल, सुरेखा मुफगेवार इत्यादि ने सम्बोधित किया। वक्ताओं ने केन्द्र की कांग्रेस सरकार की जन-विरोधी नीतियों की कड़ी आलोचना की। और सरकार को चेतावनी दी कि अगर आंगनवाड़ी महिलाओं की समस्याओं के प्रति सरकार उपेक्षापूर्ण रूख अपनाती रही तो उसे देश व्यापी जबर्दस्त विरोध का सामना करना पड़ेगा। बाद में कार्यक्रम के अनुसार जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अशोक धवले के नेतृत्व में एक शिष्ट मंडल ने भेंट कर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में आंगनवाड़ी महिलाओं को केन्द्रीय कर्मचारियों का दर्जा देने आंगनवाड़ी सेविका को 600 रुपये तथा सहायिकाओं को 400 रुपये वेतन की मांग की गई। जिला अधिकारी ने शिष्ट मण्डल को आश्वासन दिया कि ज्ञापन पर सहानुभूति से विचार किए जाने के लिए वे उच्च प्रशासन के पास भेज देंगे।

गढ़चिरौली जिले में भी आंगनवाड़ी मांग दिवस 10 जुलाई को बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में 200 से भी अधिक आंगनवाड़ी सेविका व सहायिका सम्मिलित हुई थीं। बाद में जिला अधिकारी को मांग पत्र दिया गया। शासन से सम्बन्धित जो मांगे हैं वो शासन की तरफ भेजने की तथा अन्य मांगों की तत्काल पूर्ति के लिए कारगर कदम उठाने का आश्वासन दिया गया। मांगों में आंगनवाड़ी कर्मचारियों को नियमित रूप से टी० ए० डी० ए० देना, दो बच्चों तक के लिए तीन माह की प्रसूति अवकाश देने, मानदेय राशि की रकम को बढ़ाने आदि मांगें शामिल हैं।

आँध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश सीटू राज्य कमेटी की पहल पर 24 जून को विजयवाड़ा में आंगनवाड़ी-सेविकाओं व सहायिकाओं की राज्यस्तरीय सम्मेलन सम्पन्न हुआ। इसमें सात जिलों के करीब 50 महिलाओं ने शिरकत ली।

सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए सीटू राज्य कमेटी के अध्यक्ष पी० सत्यनारायण ने आंगनवाड़ी में कार्यरत महिला के प्रति सरकार की घोर उपेक्षापूर्ण रुख की कड़ी निंदा की। उन्होंने इस बात पर संतोष प्रकट किया कि आंगनवाड़ी महिलाएं इस अन्याय के खिलाफ उठ खड़ी हो रही हैं और इस संघर्ष को सीटू द्वारा समर्थन देने का उन्होंने आश्वासन दिया।

कामगार महिला समन्वय समिति की संयोजिका का० पुण्यवती द्वारा पेश की गई रिपोर्ट पर बहस में 8 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सभी ने अपनी परेशानियों के बारे में और उन पर जारी शोषण का जिक्र करते हुए-सरकार की तीखी आलोचना की और अपनी जायज मांगों के लिए संघर्ष करने का दृढ़ संकल्प का इजहार किया।

बाद में, सम्मेलन ने आंगनवाड़ी-कर्मचारियों की एक राज्यस्तरीय संगठन बनाने का फैसला लिया। सम्मेलन ने धरना, जुलूस आदि के जरिए 10 जुलाई को मांग दिवस सफलतापूर्वक मनाने के लिए आंगनवाड़ी महिलाओं का आह्वान किया। इस सिलसिले में 10 जुलाई को मुख्यमंत्री को दिए जाने वाले मांगपत्र पर आंगनवाड़ी में कार्यरत महिलाओं का हस्ताक्षर इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाने का भी फैसला लिया गया।

राज्यस्तरीय संगठन का गठन होने तक एक संगठन समिति भी बनायी गयी है। सम्मेलन को अन्यों में आंध्र प्रदेश महिला संगठन की उपाध्यक्ष एम० सूर्यवती तथा के० स्वरूपराणी ने भी सम्बोधित किया।

बिहार

सांप्रदायिकता के खिलाफ महिला कन्वेंशन

बिहार संयुक्त महिला मोर्चा ने 6 जून को पटना के आइ० एम० ए० हाल में साप्रदायिकता विरोधी राज्य-स्तरीय कन्वेंशन का आयोजन किया। शकुंतला सिन्हा रामपुकारी देवी तथा रेखा देवी के तीन सदस्यीय अध्यक्ष-मंडल ने कन्वेंशन की अध्यक्षता की। सुबह 11 बजे सांप्रदायिकताविरोधी गीत के साथ कन्वेंशन की कार्रवाई शुरू हुई।

रमोला नंदी ने कन्वेंशन का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने देश में पैदा हो गयी सांप्रदायिकता की गम्भीर स्थिति पर प्रकाश डाला। जनवादी महिला समिति की पश्चिमी बंगाल राज्य इकाई की महासचिव श्यामली गुप्त तथा संयुक्त सचिव सरला माहेश्वरी ने सम्मेलन को सम्बोधित किया। सरला माहेश्वरी ने कन्वेंशन को सम्बोधित करते हुए कहा कि ब्रिटिश राज की तरह आज भी शासक वर्ग फूट डालो राज करो की नीति ही जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसी का परिणाम है कि कांग्रेस सरकार के इतने साल सत्तारूढ़ रहने के बावजूद देश की जनता गरीबी तथा बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रही है।

जनवादी महिला समिति की बिहार राज्य महासचिव सुधाबिंदु मिश्र ने कन्वेंशन को सम्बोधित करते हुए उन शक्तियों तथा व्यक्तियों की निंदा की जो हिंदू-मुस्लिम दंगे कराने पर आमादा हैं। हजारीबाग तथा बहेरा के दंगों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज महिलाएं इस सवाल पर खामोश बैठी नहीं रह सकतीं। अंध हिंदू उन्माद पैदा करने के लिए उन्होंने आर० एस० एस० की कड़ी आलोचना की और कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं का नारा देनेवाले वही हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी। उनके अलावा मिथिलेश कुमारी, सुभाषिनी देवी, सरिता सिन्हा तथा अनामिका ने भी कन्वेंशन को संबोधित किया।

कन्वेंशन ने राष्ट्रीय एकता तथा धर्मनिरपेक्षता, भ्रूण परीक्षण, महिलाओं पर बहुत जुल्म, मंहगाई आदि मुद्दों पर छः प्रस्ताव पारित किये।

प्रेरणा नाट्य संस्था ने इस अवसर पर सांप्रदायिकता के खिलाफ नुक्कड़ नाटक 'सबसे सस्ता गोश्त' दिखाया और दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किये।

अध्यक्षीय भाषण तथा अपर्णा भट्टाचार्य के धन्यवाद ज्ञापन के साथ शाम छः बजे कन्वेंशन सम्पन्न हुई।

बाल दिवस मनाया गया

अन्तर्राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर दिनांक 1 जून को बिहार राज्य जनवादी महिला समिति जिला शाखा वैशाली के द्वारा बाल दिवस समारोह वैशाली जिला के महनार में आदर्श शिशु विद्यालय के प्रांगण में श्रीमती चिन्ता चौधरी की अध्यक्षता में मनाया गया।

बाल दिवस समारोह में सैकड़ों बालक-बालिकाओं ने शहर एवं देहात से आकर हिस्सा लिया। इस अवसर पर जनवादी महिला समिति की सचिव का०सुधा बिन्दु मिश्रा ने सम्बोधित करते हुए बालक-बालिकाओं की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए आजादी के 42 वर्ष के बाद भी कांग्रेसी सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति, उनके मौलिक अधिकार, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान सरकार द्वारा नहीं किये जाने के सम्बन्ध में बताया। उनके भविष्य के साथ किए जा रहे खिलवाड़ की भर्त्सना की। साथ ही फुटपाथों, प्लेटफार्मों, रेलों पर जूता पालिश कर रहे, होटलों में जूठा धो रहे, अमीरों के यहाँ रहकर गाय, भैंस पालने पर लगे बच्चों के सर्वांगीण विकास उनके शिक्षा खाना, कपड़ा, की व्यवस्था की जाय इसकी सरकार से मांग की। उन्होंने कहा कि सामन्ती पूँजीवादी व्यवस्था को बदलकर ही हम बच्चों की अच्छी जिन्दगी के बारे में सोच सकते हैं।

अन्य वक्ताओं में का० राणा रामेश्वर प्रसाद सिंह, का० रामसजीवन सिन्हा, का० गणेश पण्डित, सुरेन्द्र झा आदि ने भी सरकार की गलत नीति का पर्दाफाश किया।

अन्त में सांस्कृतिक कार्यक्रम में अर्चना चक्रवर्ती ने जनवादी गीतों से समारोह को संगीतमय कर दिया।

अन्य बालक-बालिकाओं ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में

हिस्सा लिया । का०सुधा बिन्दु मित्रा के द्वारा पारितोषिक वितरण किया गया । अध्यक्षीय भाषण के बाद समारोह को समाप्त किया गया ।

पंजाब :
कामगार महिलाओं की राज्य कन्वेंशन

जालंधर में 22 जुलाई को कामगार महिलाओं की राज्यस्तरीय कन्वेंशन सम्पन्न हुई । सीटू की पंजाब राज्य कमेटी ने इस कन्वेंशन का आयोजन किया था । निर्मला कुमारी ने कन्वेंशन की अध्यक्षता की । राज्य भर से आयीं करीब 1500 महिला प्रतिनिधियों ने इस कन्वेंशन में भाग लिया । कामगार महिलाओं की समस्याओं पर गहराई से विचार करने के बाद कन्वेंशन ने निम्नलिखित चार मांगें तय कीं । ये मांगें हैं : समान काम के लिए समान वेतन दिया जाय, काम की जगह पर कामगार महिलाओं के लिए अलग गुसलखानों तथा शौचालयों की व्यवस्था की जाय, पालनाघरों तथा कामगार महिलाओं के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाय और कामगार महिलाओं को मातृत्व लाभ की सुविधाएं दी जायं ।

कन्वेंशन ने उपर्युक्त मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने और लुधियाना में पहली सितम्बर को होने जा रही मजदूरों, कर्मचारियों की विशाल रैली में शिरकत करने का निर्णय लिया ।

कन्वेंशन को सीटू राज्य महासचिव मंगतराम पासला, कामगार महिला नेता निर्मला कुमारी, महिला कर्मचारी नेता सुरिंदर कौर, पंजाब किसान सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दलीप सिंह जोहल, पंजाब जनवादी स्त्री सभा की महासचिव राजिंदर कौर चोहका और लाल झंडा पंजाब भट्ठा मजदूर यूनियन (सीटू) के महासचिव चन्द्रशेखर ने संबोधित किया और कन्वेंशन का अभिनंदन किया ।

ई पी एफ वेल्फेयर एसोसिएशन का गठन

पंजाब में, ई पी एफ महिला वेल्फेयर एसोसिएशन के गठन के लिए प्रोविडेंट फंड कमीशनर कार्यालय चंढ़ीगढ़ के महिला कर्मचारियों की एक बैठक 3 मई 1989 को हुई । महिलाओं की अपनी समस्याएं हैं और इनके निपटारे के लिए संयुक्त कार्रवाई की जरूरत को महसूस किया गया । बैठक ने वर्तमान स्थिति पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श करने के बाद इस कार्यालय के महिला कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर एवं अपने हितों की रक्षा के लिए एकजुट होकर लड़ने का फैसला लिया ।

बैठक ने वेल्फेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में सुरिन्दर कौर, उपाध्यक्ष के रूप में अनीता शर्मा एवं विजया चौधरी तथा महामंत्री के रूप में हरीन्दर कौर को सर्वसम्मति से चुना । □

विपक्षी सांसदों के इस्तीफों का स्वागत

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की ओर से उपाध्यक्ष विमल रणदिवे तथा संयुक्त सचिव बृन्दा कारात ने निम्नलिखित बयान जारी किया है :

राजीव सरकार के खुले भ्रष्टाचार के विरोध में विपक्षी पार्टियों द्वारा लोकसभा से अपने सांसदों को इस्तीफा देने के आह्वान का अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति स्वागत करती है । नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक (सी० ए० जी०) की रिपोर्ट ने एक बार फिर निर्णायक ढंग से राजीव सरकार के भ्रष्टाचार को बेनकाब कर दिया है । सी० ए० जी० जैसा स्वतंत्र सर्वोच्च लेखा निकाय द्वारा कठघरे में खड़ा किए जाने पर अन्य कोई भी सरकार जिसे जनता के प्रति थोड़ा-सा भी सम्मान हो शायद इस्तीफा देता । पर पश्चाताप का कोई संकेत देना तो दूर उल्टे राजीव सरकार ने सी० ए० जी० पर ही एक भौंडा हमला शुरू कर दिया है । जाहिर है कि सरकार के इस घिनौने प्रचार और तानाशाही रूख को देखते हुए विपक्षी सांसदों के सामने इस्तीफा देने और इस मुद्दे को जनता तक पहुंचाने के सिवा और कोई चारा नहीं रह गया ।

भ्रष्ट राजीव सरकार की तीव्र भर्त्सना करते हुए ए० आइ० डी० डब्ल्यू० ए० महिलाओं का आह्वान करती है कि वे सरकार के इस झूठे प्रचार और आश्वासनों से भ्रमित न हों और इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और भी जबर्दस्त संघर्ष छेड़ें ।

छेड़खानी के खिलाफ तसनीम ने आवाज उठाई

□ मधु परांजपे, बंबई

बबंई के आचार्य तथा मराठा कालेज में 18 मई 1989 को हुई घटना इस बात का प्रमाण है कि कामकाजी महिलाओं की इज्जत किस कदर हमेशा खतरे में बनी रहती है। इस दिन कालेज के वाइस प्रिंसिपल डा० एम० जी० गोरव ने अपने पेशे की सारी मर्यादा को ताक पर रखकर अपनी जूनियर सहकर्मी तसनीम शेख की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। कुमारी शेख इस कालेज के रसायनिक विभाग में लेक्चरर हैं और डा० गोरव इस विभाग के अध्यक्ष।

एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार से आने वाली तसनीम एक साधारण युवती है। अपने विभागाध्यक्ष की इस हरकत से वह स्तब्ध रह गयी। लेकिन फिर उसने बोंबे यूनिवर्सिटी एंड कालेज टीचर्स यूनियन (बी०यू० सी० टी० यू०) के पदाधिकारियों से संपर्क किया जिन्होंने कालेज के प्रिंसिपल के सामने ये मुद्दा उठाने का आश्वासन दिया। इसी बीच तसनीम ने खुद भी गौरव द्वारा उसकी इज्जत पर हाथ डाले जाने की शिकायत प्रिंसिपल से की।

लेकिन प्रिंसिपल का व्यवहार भी क्षुब्ध करने वाला था। प्रिंसिपल महोदय ने तसनीम को सलाह दी औपचारिक रूप से शिकायत न करे नहीं तो डा० गौरव फिर वही व्यवहार करेगा और उसका कांफिडेंसियल रिपोर्ट (सी आर) खराब कर देगा। यही नहीं प्रिंसिपल महोदय ने तो हंसते हुए तसनीम से यह भी कहा कि इस घटना को भुला दे क्योंकि "चुमना कोई गंभीर हमला नहीं है।"

प्रिंसिपल के व्यवहार से दुखी होकर तसनीम ने दफा 354 ताजिराते हिंद के तहत गौरव के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी जिसके बाद 23 मई को गौरव को गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन अगले ही दिन रिहा भी कर दिया गया।

प्रेस ने इस घटना को खूब उछाला। इस जबर्दस्त प्रचार से बौखलाकर 29 मई को कालेज के मैनेजमेंट ने तसनीम को नौकरी से निकाल दिया। मैनेजमेंट ने सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर यह कार्रवाई की क्योंकि तसनीम की नियुक्ति पूरी तरह खाली पद पर और बाकायदा नियुक्ति प्रक्रिया के तहत हुई थी। यूनिवर्सिटी ने उसकी नियुक्ति को अनुमोदित भी कर दिया था। और यह भी कि 6 मई को जब कालेज का सत्र पूरा हुआ तो तसनीम को पत्र द्वारा सूचित किया गया था कि अगला शैक्षणिक वर्ष 19 जून से शुरू होगा जिसका मतलब यह कि उसे कालेज का कर्मचारी माना जा रहा था। असल में तसनीम इस बीच हो रही युनिवर्सिटी की परीक्षाओं में सीनियर सुपरवाइजर के रूप में काम रही थी।

बहरहाल 29 मई को उसकी नौकरी खत्म किए जाने संबंधी जो पत्र भेजा गया है वह साफ तौर पर उसे विक्टिमाइज किए जाने को ही दिखाता है। बी० यू० सी० टी० यू० ने तुरंत यह मामला बंबई युनिवर्सिटी की वाइस चांसलर मेहरू बंगाली के सामने उठाया जिन्होंने इस घटना पर चिंता जाहिर की और बाद में तसनीम को आश्वासन दिया कि उनकी नौकरी खत्म किए जाने की जांच करायेंगी। बी० यू० सी० टी० यू० के एक प्रतिनिधिमंडल ने कालेज के प्रिंसिपल से भी भेंट की लेकिन वह इस कदम का कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाये। दूसरी तरफ प्रिंसिपल महोदय ने प्रेस में बयान दे दिया कि तसनीम शेख अनुपस्थित रहती थी और लोकप्रिय शिक्षक नहीं थी।

इसी बीच न्याय के लिए भटकती तसनीम ने बंबई के मेयर शरद आचार्य जो आचार्य मराठी कालेज मैनेजिंग कमेटी का उपाध्यक्ष तथा शिव सेना का काउंसलर है, से भी भेंट की।

इन महोदय ने प्रेस में सारा मामला लीक करने के लिए तसनीम को फटकारा ही नहीं बल्कि एक प्रेस इंटरव्यू में तसनीम पर बेहद घटिया आरोप लगाये और कहा कि वह, "मैनेजमेंट को ब्लैक मेल कर और उक्त दोष मढ़कर कालेज में वापस आना चाहती है।"

इस सबके बाद श्रमिक महिला संघ ने हस्तक्षेप किया और डी० वाइ० एफ० आई० तथा एस० एफ० आई०

के साथ मिलकर 6 जून को आचार्य मराठी कालेज पर प्रदर्शन का आयोजन कर तसनीम शेख को बहाल करने और गोरव को बर्खास्त करने की मांग की। इस प्रदर्शन में उपरोक्त तीनों संगठनों के अलावा महिलाओं को छात्रों के दूसरे संगठनों के भी अनेक कार्यकर्ताओं और शिक्षकों ने भाग लिया; प्रदर्शनकारी अपराधी गोरव के खिलाफ, मैनेजमेंट के और खासकर शरद आचार्य के खिलाफ, जो कि गोरव को संरक्षण दे रहा है, नारे लगा रहे थे। प्रदर्शन कारियों को श्रमिक महिला संघ की सचिव प्रभा सावंत, डा० अशोक ढ़वले, बी० यू० सी० टी० यू० के महासचिव डा० एस० एम० पराजपे, तारा रेड्डी आदि ने संबोधित किया। इसी बीच यूनियन की सलाह पर तसनीम शेख ने कालेज ट्रिब्यूनल के सामने,नौकरी खत्म किए जाने के खिलाफ अपील दायर कर दी है। ट्रिब्यूनल ने उसकी अपील स्वीकार करते हुए अंतरिम राहत के तौर पर अगली सुनवायी (13 जुलाई) तक उसकी नौकरी को बहाल रखा। ट्रिब्यूनल के प्रीसाइडिंग अफसर ने तसमीन से 19 जून को कालेज खुलने पर काम पर जाने के लिए भी कहा।

नये शैक्षणिक वर्ष के पहले दिन क्षुब्ध शिक्षकों ने गोरव से उसके व्यवहार के बारे में सवाल किए लेकिन प्रिंसिपल ने उसे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। बहरहाल प्रिंसिपल महोदय का कहना था कि संबंधित शिक्षक व्यापक सोच समझ रखने वाला है। अगले दिन कालेज, में यूनियन की बैठक हुयी जिसमें स्टाफ के 30 सदस्यों ने भाग लिया और एक प्रस्ताव पासकर गोरव के शर्मनाक व्यवहार और उसे संरक्षण देने के प्रिंसिपल के रुख की निंदा की और मैनेजमेंट से अपील की कि गोरव को बर्खास्त करे तथा तथा उसके खिलाफ जांच कराये।

बंबई यूनिवर्सिटी एक्जीक्यूटिव काउंसिल अपनी अगली बैठक में इस मुद्दे पर विचार करेगी। उधर बी० यू० सी० टी० यू० ने 11 जुलाई से काजेज के सामने धरना देने का निर्णय लिया। जब तक तसनीम शेख को न्याय नहीं मिलता शिक्षकों, छात्रों तथा महिलाओं और खासकर श्रमिक महिला संघ का संघर्ष जारी रहेगा।

रेलवे में भेदपूर्ण बर्ताव जारी

दो महिला रेल कर्मचारियों के साथ भेदपूर्ण बर्ताव का मामला, साउथ सेन्ट्रल रेलवे एम्लाइज यूनियन के महामंत्री ने उठाया है। इनमें से एक, श्रीमती के० विजयाकुमारी ने न्याय की मांग करते हुए प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेजा है। श्री राजीव गांधी तो महिलाओं के लिए 39 प्रतिशत आरक्षण, महिलाओं की हालत सुधारने आदि के बारे में ढोल पीट रहे हैं पर जब महिलाओं के साथ अन्याय होता है तो वह मूक दर्शक बनकर बैठे रहते हैं। उनकी करनी और कथनी बिल्कुल उल्टी होती है जो इन दो महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय से एक बार फिर उजागर होती है।

श्रीमती विजयाकुमारी खलासी सहायिका के रूप में कार्यरत हैं। 1980 में रेलवे इलेक्ट्रीफिकेशन विभाग में उनकी नियुक्ति हुई और 198' में उन्हें खलासी सहायिका के रूप में पदोन्नति मिली। वह काफी मेहनत और लगन के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं और अच्छी कर्मी मानी जाती है। उन्हें पदोन्नति न दिए जाने का एकमात्र कारण है कि वह महिला हैं। 1985 में हुई पदोन्नति परीक्षा के नतीजे की घोषणा इसलिए नहीं की गई क्योंकि उसमें वह भी उत्तीर्ण हुई हैं।इसी तरह 1988 में 'कुशल पद' के लिए हुई ट्रेड टेस्ट में वह भी 49 अन्यों के साथ बैठी थी पर उनको छोड़ अन्य सभी के परिणाम घोषित कर दिये गए हैं। बाद में रेल प्रशासन को शिकायत करने पर उन्हें बताया गया कि वह पास नहीं हुई। इस तरह के भेदपूर्ण बर्ताव रेलवे में अब भी जारी है जबकि चारों ओर महिलाओं की दशा सुधारने और न्याय दिलाने की बातें की जा रही हैं।

आंगनवाड़ी कर्मचारी ध्यान दें

हम यहां, आइ० सी० डी० एस० योजना के तहत् सुपरवाइजर पद में नियुक्त एवं आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायकों को मिलने वाली मानदेय राशि के बारे में केंद्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर पेश कर रहे हैं ताकि इसके आधार पर इस योजना में कार्यरत कर्मचारी लाभ उठा सकें।

—सम्पादक

सं० 19-9/85-सी० डी०
भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
महिला एवं बाल विकास विभाग, सी० डी० सेक्शन
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

12 जनवरी 1988

1. सभी राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र के आइ० सी० डी० एस० से सम्बन्धित विभाग के सचिवों
2. सभी राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र के आइ० सी० डी० एस० से सम्बन्धित डायरेक्टोरेट के डायरेक्टरों

विषय : आइ० सी० डी० एस० सुपरवाइजर पदों में नियुक्ति

महाशय/महाशया

हमें यह बताने का निर्देश है कि इस मंत्रालय को कई प्रतिवेदन मिला है कि अनुभव प्राप्त आंगनवाड़ी के कर्मचारी जो 8-10 साल से कार्यरत हैं पर स्नातक नहीं हैं, आई० सी० डी० एस० सुपरवाइजर के पद में नियुक्त के लिए उनके बारे में भी विचार किया जाय। इसके पश्चात, इस मंत्रालय ने 24-10.1986 को जारी अपने पत्रों में कुछ राज्यों तथा केन्द्रशासित राज्यों से इस विषय पर उनके विचार मांगे हैं। राज्यों व केन्द्रशासित राज्यों से प्राप्त विचारों पर गौर करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकारों से आई० सी० डी० एस० योजना में सुपरवाइजरों की नियुक्ति नियमों में इस तरह से सुधार के लिए अनुरोध किया जा सकता है जिससे कि इन पदों पर सीधे नियुक्ति प्राथियों के लिए खुला हो।

1. महिला स्नातकों (गृह विज्ञान, बाल विकास या न्यूट्रीशन विषय लेकर उत्तीर्णों को वरीयता दिया जाएगा) जिनकी आयु सीमा 25 वर्ष हों;
2. मैट्रिक पास महिला जिन्हें बाल सेविका के रूप में 11 महीने ट्रेनिग का अनुभव हो, तथा बालसेविका या आंगनवाड़ी कर्मचारी के रूप में काम करने का 8 साल का अनुभव हो या दोनों; या

   मैट्रिक पास महिला जिन्हें आंगनवाड़ी कर्मचारी के रूप में काम करने का दस साल का अनुभव हो।

इसके अतिरिक्त, ऊपर दिए गए (2) के मामले में अधिकतम आयु सीमा उस हद तक घटाया जा सकता है जिस अवधि तक वह बाल सेविका या/और आँगनवाड़ी कर्मचारी के रूप में काम किया हो बशर्ते कि ऐसा अधिकतम छूट 15 साल या 45 वर्ष की आयु तक हो।

इसलिए यह अनुरोध है कि आइ० सी० डी० एस० सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए नियुक्ति नियमों में समुचित सुधार के लिए जरूरी कारंवाई की जाय और इस मंत्रालय को सूचित करें।

इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।

आपका
हस्ता० के० एल० गुप्ता
(अवर सचिव, भारत सरकार)

नं० 1-7/83-सी० डी०
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(महिला एवं बाल विकास विभाग)
सी० डी० सेक्शन
शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दि० 15 सितम्बर 1986

सेवा में,

सचिवों एवं निदेशकों (सभी राज्य एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों के आइ० सी० डी० एस० से सम्बन्धित विभाग/निदेशनालयों)

विषय : आइ० सी० डी० एस० योजना—आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायकों को दी जाने वाली मानदेय राशि।

महाशय,

पूर्व के समाज कल्याण मंत्रालय की 5.10.1984 के पत्र के क्रम में हमें यह बताने का निर्देश है कि आइ० सी० डी० एस० योजना के अंतर्गत काम कर रहे आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायकों को मिलनेवाली मानदेय राशि में सुधार के सवाल पिछले कुछ अर्से भारत सरकार के पास विचाराधीन था। अब यह फैसला लिया गया है कि 1 जुलाई 1986 से इस योजना के अंतर्गत कार्यरत आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायकों को दी जानेवाली मानदेय राशि में निम्न तरीके से सुधार किया जा रहा है :

कैटेगरी	मानदेय राशि प्रति माह (रुपयों में)
1. गैर-मैट्रीक पास	225
2. गैर-मैट्रीकुलेट (5 साल से अधिक सेवारत)	250
3. गैर-मैट्रीकुलेट (10 साल से अधिक सेवारत)	275
4. मैट्रीक पास	275
5. मैट्रीकुलेट (5 साल से अधिक सेवारत)	300
6. मैट्रीकुलेट (10 साल से अधिक सेवारत)	325
7. सहायक	110

1 जुलाई 1986 से इन कर्मचारियों के मानदेय राशि में बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए इस आर्थिक वर्ष यानि 1986-87 के लिए जरूरी प्रावधान करना आवश्यक है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित आइ० सी० डी० एस० योजनाओं में कार्यरत आंगनवाड़ी सेविका व सहायकों की मानदेय राशि में इस बढ़ोत्तरी के कारण जरूरी अतिरिक्त फंड का प्रावधान इस विभाग से किया जायगा।

इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।

आपका
हस्ता० के० एल० गुप्ता
(अवर सचिव, भारत सरकार)

एक और चुनावी चाल

और अब श्रीमती मार्गारेट अल्वा दिल्ली में 16-17 अगस्त को आंगनवाड़ी महिलाओं का सम्मेलन बुलाने जा रही हैं। बताया जा रहा है कि इस दो दिवसीय सम्मेलन को प्रधानमंत्री भी सम्बोधित करेंगे। वही प्रधानमंत्री जिन्होंने पिछले अप्रैल में अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सम्मेलन के उपरान्त उनसे मिलने गये प्रतिनिधिमंडल को स्पष्ट शब्दों में बता दिया था कि "आंगनवाड़ी मजदूरिनों की संख्या लाखों में है और मजदूरी बढ़ाने के लिए उनकी संख्या घटानी पड़ेगी।"

बहरहाल, ग्राम पंचायत एवं शहरी स्वायत्त निकायों के बाद अब कांग्रेस (आई) सरकार की निगाहें आंगनवाड़ी में कार्यरत लाखों महिलाओं पर पड़ी है। राज्य सरकारों को लिखे गए पत्र में श्रीमती अल्वा ने हर राज्य से 35 आंगनवाड़ी महिलाओं एवं 35 बाल सेविकाओं को सम्मेलन में भेजने का अनुरोध किया है। क्या, भारी शोषण की शिकार इन महिलाओं की मजदूरी केन्द्र सरकार बढ़ायेगी? क्या आंगनवाड़ी सेविकाओं को 600 रु० और सहायकों को 400 रु० प्रतिमाह वेतन की मांग को वह मानेगी? क्या सरकार इन कर्मचारियों के लिए एक व्यापक केन्द्रीय कानून बनाएगी जिससे कि इनकी नौकरी की सुरक्षा और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित की जा सके? या फिर चुनावी वर्ष में 50 प्रतिशत वोट बैंक को भ्रम में डालने की यह महज एक और चाल है—देखें क्या होता है?

महिला स्वास्थ्य सेविकाओं की स्थिति

□ सरिता सिन्हा, बिहार

प्राचीन काल से ही मानव-सेवा का महत्त्वपूर्ण कार्य महिलाओं द्वारा लिया जा रहा है, जैसे-जैसे विज्ञान का विकास होता गया मानव-सेवा की कार्य-प्रणाली में भी तब्दिलियां आती गयीं। नसिंग सेवा में रत सभी परिचायिकाएँ—आवश्यक सेवा एवं आपातकालीन सेवा में कार्यरत रहकर समाजसेवा में दत्तचित्त हैं, उनका मुख्य उद्देश्य समाज को स्वस्थ रखना एवं पीड़ित मानवता की सेवा है। समाज के सदस्यों को स्वस्थ रखने में महिला कर्मचारियों की अहम भूमिका होती है। अतः नसिंग सेवा के माध्यम से अस्पतालों में ही नहीं, बल्कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के आम लोगों तक प्रतिषेधात्मक एवं उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से योग्य एवं प्रशिक्षित महिला कर्मियों की आवश्यकता हुई जिसके लिए परिचारिका संवर्ग का कार्यों का बोझ और जिम्मेदारियां काफी बढ़ गयीं। परन्तु समाज ही नहीं, सरकार और विभाग के द्वारा भी चौतरफा शोषण की प्रक्रिया में सुनियोजित तरीके से वृद्धि की जा रही है।

गौरतलब है कि बिहार सरकार के अधीन सामुदायिक विकास प्रखंडों में पंचवर्षीय योजना के तहत प्रत्येक प्रखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में तीन-तीन स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोले गए तथा प्रत्येक उपकेन्द्र में एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता सहायक, एक सहायक परिचारिका (ए.एन.एम.) तथा एक स्वा० सेवक को पद स्थापित किया गया तथा उपरोक्त पदों के लिए सहायक परिचारिका की योग्यता नानमैट्रिक के साथ दो वर्ष का प्रशिक्षण नसिंग और मिडवाइफरी में दक्षता हासिल रखा गया प्रशिक्षण की अवधि एवं दायित्व के आधार पर ए. एन. एम. का वेतनमान ऊँचा मान कर उपकेन्द्रों का प्रभारी इन्हें ही माना गया, लेकिन पुरुष वर्चस्व ने परिचारिकाओं को प्रभारी बनाने के आदेश को सचिवालय के संचिकाओं में सुला दिया और पुरुष स्वा० कार्यकर्त्ता ही उपकेन्द्र के प्रभारी बने।

देश के आर्थिक विकास के लिए जनसंख्या विस्फोट पर काबू पाने के उद्देश्य से 1964 से प्रखंडों में परिवार कार्यक्रम लागू किया गया तथा प्रत्येक प्रखंडों में तीन-तीन परिवार नियोजन उपकेन्द्र भी खोले गए जिसमें परिवार नियोजन कार्यकर्ता नानमैट्रिक या मैट्रिक 3 माह का प्रशिक्षण का एक पद एवं ए० एन० एम० का एक पद रखा गया। स्वा० सेवक के पद की कटौती की गयी उसके स्थान पर परिवार कल्याण स्वैक्षिक कार्यकर्ता पचास रुपए प्रतिमाह मानदेय पर रखा गया। पुनः मिनिमम नीड प्रोग्राम के तहत एवं यू० एन० एफ० पी० ए० योजना के तहत उपकेन्द्रों की संख्या में वृद्धि की गयी और उन उपकेन्द्रों में कर्मचारियों की सख्या कहीं एक कहीं दो रखी गयी। इन उपकेन्द्रों में स्वा० सेवक या स्वेक्षिक कार्यकार्यकर्ता का भी पद नहीं रहा और पुरुष या महिला स्वा० कार्यकर्ता को उपकेन्द्रों की सफाई (झाड़ू लगाने) के लिए विवश किया गया है। इतना ही नहीं यूनाइटेड नेशन फूड फार पीपल्स एक्टीविटीज योजना के उपकेन्द्रों में आवंटन के अभाव में सरकार ने उन उपकेन्द्रों को परिवार कल्याण शिविर में बदल दिया है जिससे उस योजना के कर्मचारी कुप्रभावित हो रहे हैं। सरकार या विभाग ने सहायक परिचारिकाओं का पद नाम भी बिना पूर्व सूचना के ए० एन०एम० से बदलकर परिवार नियोजन महिला कार्यकर्ता गांव साथी तो कभी महिला स्वा० कार्यकर्ता कभी रिवाइज्ड ए० एन० एम० में परिणत किया है इसी क्रम में ए० एन० एम० की योग्यता को बढ़ाकर मैट्रिक प्रथम श्रेणी कर दिया एवं प्रशिक्षण की दो वर्ष की अवधि को घटाकर अठारह माह कर इन्हें परिचारि का श्रेणी अथवा महिला स्वा० परिचारिका के ऊंचे पद पर जाने के लिए प्रशिक्षण की अवधि कम मानकर रोक लगा दिया गया है। अब इन महिला स्वा० कार्यकर्ताओं को परिचारिका श्रेणी ए० में जाने के लिए नौकरी का बाँड पूरा करने के पश्चात नौकरी छोड़कर नए केन्डिडेट के रूप में प्रशिक्षण के लिए सामान्य नियमों का पालन करते हुए जाना होगा। तथा म० स्वा० परिचारिका का प्रशिक्षण बन्द कर उस प्रशिक्षण स्कूल को म० स्वा० कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण स्कूल में बदल दिया गया। दूसरी ओर पूर्व की सहायक परिचारिकाओं को 6 माह का कन्डेन्स कोर्स के आधार पर म०

स्वा० परिदर्शिका में प्रोन्नति देने के प्रावधान के तहत कुछ सहायक परिचारिकाओं को प्रोन्नति दिया गया जिसमें वरिय एवं कनिय का ध्यान नहीं रखा गया कुछ परि० को प्रशिक्षण देकर पूर्व पद एवं वेतनमान में ही छोड़ दिया गया तथा शनैः-शनैः परिदर्शिका प्रशिक्षण संस्था को ही स्वा० कार्यकर्ता स्कूल में बदलकर कुछ परिचारिकाओं को प्रशिक्षण से वंचित कर दिया गया। इस प्रकार सहायक परिचारिकाओं एवं म० स्वा० कार्यकर्ताओं के प्रोन्नति का प्रावधान बन्द कर उनके भविष्य को रोक दिया गया।

ज्ञातव्य है कि क्षेत्रिय महिला कर्मियों को उपकेन्द्र के कार्यों के अलावा ए० एन०, पी० एन० प्रसव, गर्भवती माताओं को गोलियां बांटना, टेटनस की सुइयां देना, बच्चों के रोग निरोधक कार्यक्रम के तहत दवा पिलाना इम्यूना-इजेशन कार्य का लक्ष्य पूरा करना, अर्थात पूरा माह शिशु कल्याण कार्य के अलावा स्वास्थ्य सेवा में स्वास्थ्य शिक्षा, आउटडोर उपकेन्द्र में करना आदि विशेष कार्य के अलावा बहुदेश्यि योजना के नाम पर मलेरिया स्लाइड, टी०बी०, स्पूटम, कोलेरा सूई देना, कूप विसक्रमण कार्य दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ उनके कार्य में सहयोग आदि बहुत सारे कार्य करने होते हैं।

उपरोक्त कार्यों के अलावा विशेष रूप से परिवार कल्याण का सारा कार्य महिलाओं को करना पड़ता है और परिवार कल्याण के नाम पर विशेष रूप से महिला कर्मियों का शोषण विभागीय व स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा किया जाती है परिवार कल्याण ऑपरेशन हेतु अधिक लक्ष्य का निर्धारण महिला कर्मियों पर किया जाता है। पुरुष नस-बन्दी नगन्य होने के कारण पुरुषों के लिए वन्ध्याकरण लक्ष्य की पूर्ति के लिए महिलाओं को सक्रिय रूप से सहयोग देना होता है कहीं-कहीं तो पुरुष वर्चस्व के कारण महिला कर्मियों द्वारा उत्तप्रेरित किया गया केस बलपूर्वक अथवा प्रभारी से मिल कर अपने नाम पर ले लिया जाता है। वन्ध्याकरण वाली महिला का खास कर ऑपरेशन के पहले और बाद में देख-रेख का महत्वपूर्ण कार्य करना होता है। महिलाओं को कौपर टी लगाने के लिए भी लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है उसे पूरा करना एवं लगवाने वाली को सरकार से पुरस्कार स्वरूप मिलनेवाली छः रुपये को राशि को भुगतान कराने में काफी तबाही उठानी पड़ती है। इसके अलावा ओरल पिल्स का लक्ष्य पूरा करना पड़ता है परिवार कल्याण हेतु अन्य उपकरण बांटने के अलावा महिला कर्मियों को ही निरोध जो पुरुषों के व्यवहार साधन है महिला कर्मियों को ही बांटना पड़ता है। उपरोक्त कार्यों के संदर्भ में मीलों गांव का भ्रमण अकेले पैदल चल कर पूरा करना पड़ता है। बीस-पच्चीस किलो मीटर पैदल चलकर माह में आठ-दस बार मुख्यालय (कार्यालय) के कार्य से बुलाया जाता है तथा प्रतिवेदन देने, दवा लेने, मैक्सीन लेने या बैठकों में भाग लेने अथवा वन्ध्याकरण लक्ष्य की पूर्ति के लिए ओपरेशन करवाने के संदर्भ में इन्हें कार्यालय या अस्पतालों में रात में या संध्या सात-आठ बजे तक प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी या कार्यालय के द्वारा रोक कर रखा जाता है जबकि इनके ठहरने या रात्रि विश्राम के लिए कोई स्थान नहीं रहता। इतना ही नहीं महिला कर्मियों को कार्यालय से दवा अन्य सामान मैक्सीन तथा ब्लिचिंग पाउडर की गठरी भी माथे पर ढोकर उपकेन्द्रों में ले जाना होता है। सुदूर उपकेन्द्रों में रहने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं है जिसके चलते उन्हें आए दिन दुखद घटनाओं का शिकार होना पड़ता है। विदित है कि सरकार और विभाग द्वारा स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा महिला कर्मचारियों को ही अधिकतर निलम्बित करना, डिसचार्ज करना, वेतन वृद्धि, वेतन रोकना स्पष्टीकरण पूछना आदि जैसी कार्रवाई कर तंग और तबाह किया जाता है।

जहां तक आर्थिक समस्याओं एवं पूंजीवादी सामन्त-वादी व्यवस्था के कारण तमाम कर्मियों के शोषण का सवाल है, महिला और पुरुष समान रूप से शोषित हैं, पर इसके अलावा रूढ़िवादी सामन्ती प्रवृति के तहत महिलाओं को अधिक उतपीड़न किया जाता है और वे चौतरफा मार की चपेट में रहती है। महिला होने के कारण उनकी विशेष प्राकृतिक समस्याएं भी होती हैं जो स्वास्थ्य महिलाओं द्वारा भी सामूहिक अवस्था में नहीं प्रकट किया जाता है। बिहार चिकित्सालय एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ पूरे राज्य के सत्तर हजार प्रसव सेविकाओं के अलावे स्वास्थ्य विभाग में कुल कर्मचारी का लगभग तीस प्रतिशत महिलाएं जो सुदूर गांवों के उपकेन्द्रों से लेकर मेडिकल कालेज एवं अस्पतालों में पदस्थापित हैं पीड़ित मानवता की सेवा में सलंग्न हैं। बिहार राज्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ के 1964 के हड़ताल से महिला स्वास्थ्य के कर्मियों की साझेदारी संगठन एवं संघर्षों में लगातार बढ़ती रही है। संगठन को महिलाओं के बढ़ते योगदान से काफी बल मिला है, परन्तु संगठन की कमेटियों में उनका प्रति-निधित्व काफी कम है हालांकि उत्तरोत्तर विकास की दशा में है। संगठन में कार्य करने के दौरान संघ ने अनुभव किया कि महिलाएं कमेटियों में खुलकर आवें। इसके लिए उनमें आत्मविश्वास जगाने का प्रयास करना होगा, क्योंकि जब तक महिलाओं में आत्मविश्वास नहीं जगता संगठन और संघर्ष में उनकी नेतृत्वकारी भूमिका नहीं होगी और तब तक न तो उनकी सारी समस्याएं सामने उभर कर आ पाएंगी और न ही पूरे ट्रेड यूनियन आंदोलन का विकास हो सकेगा।

मध्य प्रदेश में कामगार महिलाओं का संभाग व्यापी विरोध प्रदर्शन

लम्बे समय से उपेक्षित कामगार महिलाओं के मोर्चे पर कम तैयारियों में ही आयोजित एक गतिविधि ने इस मोर्चे पर विकास की भरपूर संभावनाओं का अहसास करा दिया है। जून के आखिर में मुरैना जिले के एक गाँव में, सरकारी अस्पताल की एक नर्स कु० पदमा पिल्लै (मूल निवासी केरल) का अपहरण किया जाना बाद में सामूहिक बलात्कार करके उसकी नृशंस हत्या कर दिया जाना एक अत्यंत दुखद और शर्मनाक हादसा था। निर्लज्जता की हद यह थी कि कांग्रेस (इ) और भाजपा दोनों ही के वरिष्ठ नेता, यहां तक कि विधायक तक हत्यारों के संरक्षण में लगे थे।

डेढ़ हजार किलोमीटर दूर से मुरैना के एक गांव के कु० पदमा पिल्लै बीमारों की देखरेख करने आई थी। मगर 'आजाद' देश की पुलिस ने खुद उसकी देखरेख का जिम्मा लेने से इन्कार कर दिया। 6 महीने से पदमा पिल्लै मुरैना पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करा रही थी। छेड़खानी करने, इज्जत लूटने की कोशिश करने—हत्या की धमकी देने वालों के नाम बता रही थी। मगर एक तो पुलिसिया परपरा में अपराध की कोशिश को अपराध मानने की मनाही है, उसपर से कहीं अपराधी अगर कांग्रेस (इ) के सरगना हों तो अपराध हो जाने के बाद भी कार्यवाही गुनाह है।

इसके खिलाफ सीटू और कामगार महिला समन्वय समिति, जनवादी महिला समिति के दोनों संभागों (ग्वालियर व चम्बल) में विरोध संगठित करने का निर्णय लिया। तीनों ही संगठनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी, कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा, उनके लिए वैधानिक प्रावधानों आदि की मांगों को लेकर 18 जुलाई 1989 को पदमा दिवस मनाने का आह्वान किया। इस पदमा दिवस में एक पैम्फ्लेट प्रकाशित करने, पैम्फ्लैट लेकर प्रत्येक कामकाजी महिला से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने एवं 18 जुलाई को समस्त जिलाधीश कार्यालयों पर ग्वालियर में संभागीय आयुक्त कार्यालय पर दिन भर का धरना देने का आह्वान था।

अभी तक प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर गुना को छोड़कर शेष समस्त जिलों में अभियान चला और धरने सफलतापूर्वक हुए। ग्वालियर में सभी विभागों में संपर्क का परिणाम करीबन 150 कामकाजी महिलाओं की भागीदारी के रूप में रहा। शिवपुरी में भी महिलायें शामिल हुई। मुरैना में 20-25 महिलायें बैठी। दतिया में भी धरने पर महिलाओं की भागीदारी अच्छी रही। अन्य जिलों में भी स्थिति संतोषजनक रही। सीटू के साथी बड़ी संख्या में धरने में शामिल हुए और इस अभियान में शरीक रहे।

महिला होने के नाते शारीरिक शोषण की शिकार बनी कामगार महिलाओं की रक्षा का दावा कितना खोखला है, पदमा पिल्लै इसकी गवाह है। कानूनों की हालत ये है कि राजधानी दिल्ली में दहेज हत्याओं और नारी उत्पीड़न के 1300 मुकदमों में सिर्फ एक में सजा हो पाई। मध्यप्रदेश तो जैसे महिलाओं के लिए अभिशाप है। प्रचार व अभियान दोनों ने ही कामकाजी महिलाओं में संगठन के प्रति चेतना पैदा करने में थोड़ी-सी भूमिका जरूर पैदा की है।

इस प्रभाव को संगठन में बदलने के प्रयास जारी हैं।

घरेलू मजदूरिनों को संगठित करना

"सेल्फ-इम्पलोयड वीमेन एसोशियेशन" (एस. ई. डब्ल्यू. ए.—स्व-रोजगार महिला संगठन) ने गांधी श्रम संस्थान के साथ मिलकर 1987 में अहमदाबाद में घरेलू और पीस रेट पर काम करने वाले मजदूरों के सवाल पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। अनेक संगठनों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया और अपने लिखित पर्चे प्रस्तुत किए। स्वरोजगार पर राष्ट्रीय कमीशन की अध्यक्ष श्रीमती इलाभट्ट ने मुख्य भाषण दिया। उनके भाषण के बहुत से बिन्दुओं को 'श्रमशक्ति' नामक किताब में शामिल कर लिया गया है, जो कुछ ही महीने पहले प्रकाशित हुई है। यहां हम कुमारी रेनाना झाबवाला का "घरेलू मजदूरिनों को संगठित करना" नामक लेख छाप रहे हैं, जिसमें उन्होंने इन मजदूरिनों की समस्याओं, उनकी कठिनाइयों और उनके संगठन का स्तर निम्न होने आदि की विस्तार से व्याख्या की है। हम इन दस्तावेज में उनके द्वारा उठाये गए तमाम बिन्दुओं से सहमत नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जब हम उनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग करते हैं तो इन असंगठित महिलाओं की समस्याओं एवं जहां वे काम करती हैं, वहां के बदतर हालातों को नोट किया जाना चाहिए।

—संपादक

घरेलू मजदूरिनों की समस्याओं को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे ऐसी दसियों लाख अदृश्य' महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिन्हें एक ही साथ मजदूर, माता और घर संभालने वाली की भूमिका एक जादूगर की तरह निभानी पड़ती हैं, और जो एक ऐसे अर्थतन्त्र द्वारा कुचली जा रही हैं, जो उनके अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करता। लेकिन इस समस्या को समझने से ही काम नहीं चलेगा, असल सवाल यह है कि स्थिति में परिवर्तन कैसे लाया जाये, और उन ताकतों का मुकाबला कैसे किया जाये, जो उनको कुचल रही हैं? हमारी समझदारी हमें कार्रवाई तक कैसे ले जायेगी?

यही वह संदर्भ है, जिसमें एस. ई. डब्ल्यू. ए. (सेवा) घरेलू-मजदूरिनों को संगठित करती रही है। बुनियादी तौर से इनको संगठित करने के दो तरीके हैं, जिनका प्रयोग किया गया है। पहला तरीका तो यह कि इन्हें इस तरह संगठित किया जाये कि उत्पादन की वर्तमान व्यवस्था में ही उन्हें बेहतर सुविधा मिले, अर्थात् ज्यादा मजदूरी, उचित दाम, तथा ऐसी सुविधायें जिससे बच्चों की देखभाल, प्रोविडेन्ट फन्ड, (भविष्यनिधि) एवं स्थान की सुविधा मिले। आमतौर से यह यूनियनों की कार्रवाई से दबाव डालने एवं मोल-तोल करने का तरीका है।

दूसरा तरीका यह है कि पैदावार की एक वैकल्पिक प्रणाली खड़ी की जाये, जो ज्यादा उचित और समानता पर आधारित हो। इस तरीके में मजदूरिनें अपने को सामूहिक या सहयोगी संस्थाओं में संगठित करती हैं, जो मजदूरों की ओर से खरीददारी, उत्पादन और बाजार की व्यवस्था करती हैं, तथा उक्त संस्थाओं में निर्णय लेने का अधिकार मजदूरिनों के हाथों में रहता है।

क्षेत्र में संगठन

क्षेत्र (काम के इलाके) में उन्हें संगठित करने में तीन विभिन्न स्तरों पर काम करना पड़ता है—

1. सीधी कार्रवाई—यूनियन को पहले महिला मजदूरों के साथ छोटे स्तर पर काम करना पड़ता है, ताकि उनको अपने मालिकों व्यापारियों और तात्कालिक निहित स्वार्थी तत्वों से मुकाबला करने में मदद दी जा सके। मजदूरिनों को अपने परिवारों, सम्प्रदायों और अपनी जातियों के बीच से भी विरोध का सामना करना पड़ता है।

2. सरकार के साथ काम करना— भारत में आर्थिक जीवन के लगभग तमाम पहलुओं का नियन्त्रण सरकार अपने विभिन्न विभागों द्वारा करती है।

श्रम कानूनों सहित तमाम कानूनों को लागू करने के लिए यही जबाव देह है। और विकास के लिए योजनाओं को लागू कराने के लिए भी यही जवाब देह है। इसलिए किसी भी संगठन को, मजदूरों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं एवं कानूनों को लागू कराने के लिए सरकार से निबटना ही पड़ता है, इससे सहयोग भी लेना पड़ता है, तथा इसकी उदासीनता के खिलाफ लड़ना भी पड़ता है। बिल्कुल निचले स्तर पर सरकारी विभागों को मजबूर करके कि वह सही ढंग से अपनी भूमिका निभाये, मजदूरों की स्थिति को मजबूत किया जा सकता है।

3. **प्रचार का काम**—राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर नीतिगत वातावरण किसी संगठन के संचालन को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। अगर किसी संगठन के प्रति नीतियों या नीति निर्धारण करने वालों का रुख भी शत्रुतापूर्ण हो तो ऐसा रुख तमाम कार्यकलापों में गतिरोध पैदाकर सकता है। दूसरी ओर ऐसी नीतियां और कानून जो उसके पक्ष में जाते हों उस संगठन के बनने और उसके लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करते हैं। इसलिए संगठन को नीतियों में परिवर्तन के लिए वर्तमान कानूनों की व्याख्या अपने पक्ष में बढ़ाने के लिए और नई नीतियां बनाने के लिए प्रचार करने की जरूरत पड़ती है।

रोजी का खात्मा

पहला सवाल जो घरेलू मजदूरिनों द्वारा उठाया जाता है, वह यह है कि संगठन बनाते ही अनेकों जगह से उन्हें काम से हटा दिया जाता है, और इस कारण संगठन के निर्माण में कठिनाई पैदा हो जाती है। यह दो तरह से होता है—

1. **दण्ड**—महिला मजदूर या मजदूरिनों के एक छोटे से ग्रुप को काम से हटा दिया जाता है। मालिक उनसे कहता है—"अब जबकि तुमने मेरा विरोध किया है, तुम अपनी यूनियन के पास जा सकती हो, और उसी से काम लो।"

आम तौर से दो तरह की मजदूरिनें होती हैं जिनको मालिक दण्ड देता है, वे या तो नेतृत्वकारी होती हैं, जिन्हें इसलिए काम से हटा दिया जाता है ताकि उनका उत्साह टूट जाये, या फिर दूसरी मजदूरिनों के लिए यह (डरानेवाला) उदाहरण बन जाये। फिर वैकल्पिक रूप में सबसे कमजोर या विधवा मजदूरिनों को दंडित किया जाता है कि यूनियन को मिल रहा समर्थन टूट जाये और मजदूरों को यह बताया जाये कि कैसे वे अपने जीवन यापन के लिए मालिक पर ही निर्भर हैं, इसलिए उन्हें उसी का 'पक्का भक्त' बने रहना चाहिए।

दण्ड का यह रूप आमतौर से बहुत ही दुखदायी होता है, क्योंकि यह अचानक होता है, और एक ही क्षण में उक्त मजदूरिन की रोजी-रोटी छीन लेता है, तथा उसे बिल्कुल बेसहारा बना देता है। ऐसी स्थिति में, अगर यूनियन उस पीड़ित मजदूरिन की मदद करने में समर्थ नहीं है, तो उस संगठन का टूटना लाजिमी है।

स्थानान्तरण—संगठन बनाने के बाद एक दूसरा तरीका, जिससे मजदूरिनें अपनी रोजी-रोटी खो बैठती हैं, यह है कि मालिक अपने कारोबार की जगह बदल लेता है। जैसे कि अहमदाबाद में, 'सिंधी मार्केट' के मालिकगण संगठित मजदूरों को मिल रहे काम की मात्रा घटा रहे हैं, और अपने कारोबार को शहर के उस इलाके में ले जा रहे हैं, जहां अभी यूनियन नहीं पहुंची है।

बीड़ी के ठेकेदार इस तरीके को लगातार अपनाते हैं। वे अपना उत्पादन एक इलाके में शुरू कराये हैं, और जब वहां के मजदूर संगठित हो जाते हैं, तो वे वहां काम बंद कर देते हैं और नये इलाके में चले जाते हैं।

कभी-कभी मालिक एक इलाके से पूरी तौर से ही चले जाते हैं, और बिलकुल दूसरे जिले या राज्य में अपना कारोबार ले जाते हैं, जहां मजदूर कम संगठित हैं। उदाहरण के लिए, इंदौर में एक मालिक अपना कारोबार बन्द कर सागर में ले गया जहां मजदूर अभी ज्यादातर असंगठित हैं।

गुजरात के एक बड़े बीड़ी मालिक का एक अतिरिक्त कारोबार केन्द्र, आन्ध्र प्रदेश में भी है। जब एक राज्य के मजदूर ज्यादा संगठित हो जाते हैं, या ज्यादा मांग करने लगते हैं, तो वह दूसरे राज्य में ज्यादा उत्पादन कराने लगता है।

इस ढंग के हमले का मुकाबला ज्यादा कठिन है, और इसके लिए ज्यादा केन्द्रित प्रयास की जरूरत है। एक, कि यूनियन के लिए यह जरूरी है कि वह मालिक का पीछा करे तथा वह, जहां भी जाता है, वहीं मजदूरों को संगठित करना शुरू कर दे। पर, वास्तव में यह कठिन और समय लेने वाला काम है, क्योंकि किसी संगठन को खड़ा करने में वर्षों का समय लगता है। दूसरा, सरकार से अनेकों तरह की समर्थन की आवश्यकता होती है, जो मालिकों का पीछा

करे, और वह जहां भी हो, उसे मजदूरों का बकाया देने पर मजबूर करे। तीसरा, कभी-कभी कानून का इस्तेमाल कर मालिकों के लिए जगह छोड़ना बहुत ही ज्यादा खर्चीला बनाना संभव है। और अगर मालिक उत्पादन बन्द करना चाहता है, तो उसको जाने के पहले मजदूरों को ग्रैच्युटी, प्रोविडेन्ट फन्ड, छंटनी का मुआवजा आदि देने पर इस तरह मजबूर कर दिया जाये कि वह अन्त में वहीं रहना उचित समझे।

कानूनी रक्षा : दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि घरेलू मजदूरिनों के लिए कोई कानूनी सुरक्षा है ही नहीं। सिर्फ बीड़ी मजदूर ही अपवाद है, जिनके लिए बीड़ी ऐन्ड सिगार वेलफेयर फंड ऐक्ट लागू हैं। हालांकि तकनीकी रूप से घरेलू मजदूरिनों के लिए "न्यूनतम मजदूरी कानून" लागू है, पर असलियत में यह लागू नहीं होता है।

दूसरी कानूनी कठिनाई यह है कि बहुत से श्रम कानून यह मानकर चलते हैं कि मालिक-मजदूर संबंध को साबित किया जाये। दुर्भाग्यवश, मालिक जानबूझकर इस संबंध का कोई लिखित रिकार्ड रखते ही नहीं हैं, ताकि ऐसे कानून लागू न किया जा सके।

सरकार का समर्थन

सरकार और खास तौर से श्रम विभाग का रुख संगठन बनाने में एक बड़ा भारी अन्तर ला देता है। अनुभव यह है कि श्रम विभागों का रुख घरेलू मजदूरों के प्रति अलग-अलग होता है, कभी पूरा विरोध का, कभी उदासीनता का, कभी थोड़ा समर्थन का, तो कभी पूरे समर्थन का। इससे भी ज्यादा, यह भी जरूरी नहीं कि सरकार का रुख एक रसता का हो। अफसरशाही के अन्दर कुछ अधिकारी ऐसे हो सकते हैं जो समर्थन करें और हमदर्दी दिखायें तथा कुछ ऐसे हो सकते हैं जो ऐसा न करें। कभी-कभी अफसर शाही और मंत्री के रूख में भी फर्क होता है।

रुख इस पर भी निर्भर करता है कि घरेलू-मजदूर एक मजदूर है कि नहीं। गुजरात के अफसरों ने घरेलू मजदूर को मजदूर माना, परन्तु इन्दौर और लखनऊ दोनों जगह हम लोगों को ऐसे बड़े अधिकारियों के रुख का सामना करना पड़ा, जो घरेलू मजदूरों को 'गृहिणियां' कहते हैं। और कहते हैं कि ये मजदूरिनें ये काम अपने 'आराम के समय' में करती हैं। ये मजदूर बिल्कुल नहीं हैं, इनपर कोई श्रम कानून लागू नहीं होता, और इसलिए श्रम विभाग को इनकी कोई चिन्ता नहीं है। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि इस रुख में परिवर्तन करना संभव है। जब घरेलू मजदूरों से इन अधिकारियों को मिलाया जाये, वे इनसे बातें करें, इनकी जिन्दगी को स्वयं देखें, तब वे महसूस करने लगते हैं कि ये घरेलू-मजदूर हैं। यह इसपर भी निर्भर करता है कि संगठन कितना सरकारी अधिकारियों को इन मजदूरों की जिन्दगी के बारे में शिक्षित कर पाता है।

सरकार का रुख इस पर भी निर्भर करता है कि कानूनी सुविधायें क्या हैं, और उसे लागू करने के लिए कितने अधिकारी-कर्मचारी उपलब्ध हैं। आमतौर से चूंकि घरेलू मजदूरों पर श्रम कानून लागू नहीं होता, इसलिए ऐसे अधिकारी नियुक्त नहीं होते जो उनकी सुरक्षा के लिए जवाब देह हों। "अगर कभी कोई कानून होता भी है जैसे "निम्नतम मजदूरी कानून" या 'बीड़ी और सिगार' कानून', तो इन्हें लागू करने वाले अधिकारियों पर और इतनी जिम्मेदारियां रहती हैं कि या तो इन्हें समय नहीं होता या उस ओर इनका झुकाव ही नहीं होता कि ये घरेलू-मजदूरों की मदद करें।

सरकार के रुख का निर्धारण करनेवाला सबसे महत्त्व पूर्ण तत्व यह है कि उसमें इच्छा-शक्ति है या नहीं। जब मजदूर मजबूती से संगठित रहते हैं तब सरकार की इच्छा शक्ति उनकी ओर झुकती है, और जब वे असंगठित रहते हैं, तो मालिकों की ओर।

मजदूर और मालिक दोनों के पक्षधर राजनैतिक व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। मजदूर इस व्यवस्था को तब प्रभावित करने लगते हैं, जब वे इस बात को प्रदर्शित कर देते हैं कि वे एकबद्ध हैं, अपने अधिकार के प्रति जागरुक हैं, उसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, वे स्पष्ट रूप से अपनी बात बोल सकते हैं, और वे इस बात की अपेक्षा करते हैं कि विधायिकाओं में उनके प्रतिनिधि, तथा अफशरशाही उनकी मदद करें। इस बात का प्रदर्शन अनेकों तरीकों से करना होगा। प्रदर्शनों, जुलूसों सम्मेलनों आदि से सामान्य तौर से मजदूरों की एकता और चेतना में विकास होता है। अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत मुलाकात से उनकी दृढ़ता एवं आकांक्षायें स्पष्ट होती है। प्रचार साधनों से उनकी समस्याओं के प्रचार से यह स्पष्ट होता है कि वे एकबद्ध हैं और स्पष्ट आवाज उठाने वाले हैं। ये तरीके आवश्यक हैं, क्योंकि मालिकों के पक्ष के पास एक ऐसी चीज है, जो मजदूरों के पास नहीं है, वह है पैसा। मालिक वर्ग राजनैतिक समर्थन खरीदने में समर्थ है, मजदूरों को इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है।

[पृष्ठ 2 का शेष]

ने मालती का एक इंटरव्यू छापा है। इस इंटरव्यू में उसने कहा है, "मंगलवार को दोपहर एक बजे के आस-पास बैंक मोर थाने और भूली पुलिस पोस्ट से संबंधित सात पुलिस-कर्मी मेरे घर में घुस आये और सोमवार की रात गाँव में पड़ी डकैती के सिलसिले में मेरे भाई घुटनां मांझी के बारे में पूछने लगे।" मालती ने उनसे कहा कि वह बाहर गया है। उसके बाद पुलिसवालों ने उसे पकड़ लिया। उनके इरादे भांपकर "मैं झोंपड़ी से बाहर आने में सफल हो गयी।" बहरहाल, पुलिसवालों ने उसका पीछा किया और उसके साथ मुंह काला किया।

आश्चर्य की बात तो यह है कि जब मालती, खुद उसके अनुसार, अपनी चाची के साथ ए. डी. एम. के पास केस दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंची, तो ए. डी. एम. राजबाला वर्मा ने उसके प्रार्थना पत्र पर ध्यान देना मुनासिब नहीं समझा और असहाय मालती घर लौट गयी। राजबाला वर्मा ने भी वही व्यवहार किया, जो पुलिस का कोई दूसरा अफसर करता। वह भी कांग्रेस (आई) द्वारा लागू की जा रही नीतियों से अलग तो नहीं चल सकती थीं, यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरागांधी भी महिलाओं को न्याय नहीं दे पायीं। रिपोर्टों के मुताबिक जनवादी महिला संगठन और मार्क्सवादी कोआर्डिनेटान कमेटी ने आदिवासी महिला के साथ हुई पहली घटना के खिलाफ आठ दिन तक कलक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया।

महिलाओं, और खासतौर से आदिवासी तथा हरिजन महिलाओं, के साथ होने वाले इन बर्बर अत्याचारों की जड़ें इस पूंजीवादी-भूस्वामी निजाम के वर्गीय शासन में है। वे महिलाओं को निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल करते हैं। असहाय और कमजोर तबकों की रक्षक समझी जाने वाली पुलिस का रवैया भी इससे भिन्न नहीं है। पुलिस थानों में विशेष सेलों की स्थापना करने और प्रशासनिक करमों से भी अत्याचारों का शिकार होने वालों को कोई सहायता नहीं मिलती है। हर तरफ भ्रष्टाचार फैला है।

इस सिलसिले में एक और गंभीर मुद्दा यह है कि ऐसे मामलों में लोग उदासीनता का रुख अपनाते हैं और हस्तक्षेप नहीं करते। लोगों को एक असहाय औरत को हत्यारों के चंगुल से बचाने के लिए कुछ भी उठा नहीं रखना चाहिए। इस मामले में एक 17 वर्षीया साधारण आदिवासी लड़की के साथ सात पुलिसवालों को कुकृत्य करते हुए वे गूंगे की तरह असहाय देखते रहे। बिहार या अन्य स्थानों पर होने वाली ऐसी घटनाओं से जनतांत्रिक सोच-समझ रखनेवाले लोगों को यह महसूस करना चाहिए कि इस पूंजीवादी-सामंती समाज में सामंती मूल्य बहुत गहरे बैठे हुए हैं और जब तक लोग, और खास तौर से पुरुष, इन पोंगा पंथी और सामंती विचारों के खिलाफ आवाज नहीं उठायेंगे, महिलाओं का अपमान होता रहेगा और वर्गीय शासन के अधिकारियों से तथा आम लोगों से भी उन्हें इसी तरह अपमानित होते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी लोग भी उसी समाज की पैदाइश हैं। इसलिए, जब तक महिलाओं पर अत्याचार जारी है, उनके लिए 30 प्रतिशत आरक्षण और दूसरी बड़ी-बड़ी बातों का कोई मतलब नहीं है। राजीव सरकार की इस चार साल की अवधि में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता, जब महिलाओं पर अत्याचार करने वाले किसी अपराधी को दंडित किया गया हो। हरिजन और आदिवादी महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाले एक भी पुलिसकर्मी को कांग्रेसी शासन में सजा नहीं दी गयी। इस लिए, कांग्रेस (आई) के वादे चाहे कुछ भी हों, असलियत यह है कि अगर महिलाएं 100 फीसदी अत्याचार सहने के लिए तैयार हों, तो उन्हें 30 प्रतिशत आरक्षण मिल जायेगा।

922 महिलाओं की जलाकर हत्या

दहेज के लिए, 1988 वर्ष में 922 महिलाओं की जलाकर हत्या की गई।

7 अगस्त को लोकसभा में गृह राज्यमंत्री ने प्रो० के० वी० थामस के प्रश्न के लिखित जवाब में यह तथ्य दिया। श्री पी० चिदाम्बरम ने सदन को बताया कि दहेज हत्या को रोकने के लिए दहेज निषेधाज्ञा कानून, 1961 को और सख्त बनाने के लिए 1984 एवं 1986 में दो बार संशोधन किया गया। इंडियन पेनल कोड, क्रीमिनल प्रोसिडयोर कोड 1973 तथा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कानूनों में भी सुधार किया गया ताकि न केवल दहेज हत्या बल्कि शादीशुदा महिलाओं के प्रति क्रूर अत्याचार के मामलों में भी सख्ती से कार्रवाई की जा सके।